



अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए)



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीया सुश्री अनुसुईया उड़िके, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 का अनावरण करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का

अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये)

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल
को प्रस्तुत

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

श्री के.आर. पिस्टा

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 17/01/2017 से निरंतर)

श्री शिवनारायण पाण्डेय

सदस्य

(अवधि दिनांक 5/12/2014 से निरंतर)

श्री मोहन लाल मंडावी

सदस्य

(अवधि दिनांक 10/11/2015 से 22/03/2019 तक)

श्री सुकृत लाल साव

सदस्य

(अवधि दिनांक 22/05/2017 से निरंतर)

श्री डॉ. मोतीलाल बाचकर

सदस्य

(अवधि दिनांक 05/10/2017 से निरंतर)

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट एक में दिया गया है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19



विषय सूची

अध्यायों की सूची :-

| अध्याय क्रमांक | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|-------------------|---|--------------|
| 1. | प्रस्तावना | 01 |
| 2. | उत्पत्ति एवं विकास | 02-03 |
| 3. | लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान | 04-07 |
| 4. | आयोग की संरचना | 09-10 |
| 5. | आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन | 11 |
| 6. | ऑनलाइन आवेदन | 12 |
| 7. | परीक्षा | 13 |
| 8. | अंतिम चयन | 14-16 |
| 9. | राज्य सेवा परीक्षा 2017 के विश्लेषणात्मक ऑकड़े | 17 |
| 10. | आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग | 18 |
| 11. | भर्ती नियम, सेवा नियम | 19 |
| 12. | पदोन्नतियों | 20-21 |
| 13. | अनुशासनिक मामले | 22 |
| 14. | वित्त | 23 |
| 15. | न्यायालयीन प्रकरण | 24 |
| 16. | सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी | 25-26 |
| 17. | प्रस्तावित कार्य-योजना | 27-28 |
| 18. | कृतज्ञता ज्ञापन | 29 |

परिशिष्टों की सूची :-

| परिशिष्ट | विषय | पृष्ठ -संख्या |
|----------|--|---------------|
| 1. | आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृतान्त। | 30-33 |
| 2. | आयोग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31 / 03 / 2019 की स्थिति में | 34-35 |
| 3. | अंतिम चयन | 36-41 |
| 4. | सूचना—प्रौद्योगिकी | 42-46 |
| 5. | विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिए जाने का विवरण | 47-48 |
| 6. | विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण | 49-57 |
| 7. | विभागीय जांच / अनुशासनिक कार्यवाही / अपील प्रकरणों का विवरण | 58-82 |
| 8. | मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689) राज्य लोक सेवा आयोग, आयोजनेत्तर, वित्तीय वर्ष 2018-19 (माह 01 / 04 / 2018 से 31 / 03 / 2019 तक) व्यय एवं समर्पण | 83-87 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19



अध्याय -एक

प्रस्तावना


भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2018–19 के लिए आयोग की मुख्य गतिविधियों का समावेश किया गया है। उक्त अवधि में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

- प्रतिवेदित वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 1524 पदों के विरुद्ध 1020 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची राज्य शासन के संबंधित विभागों को भेजी गई है।
- विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों में प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग को पदोन्नति प्रकरणों में शासन के लगभग सभी विभागों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 113 बैठकें आयोजित की गईं।
- आयोग द्वारा संपादित कार्यों में गुणवत्ता एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं और यह कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करके एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ही संभव हो पा रहा है। आयोग ने इस दिशा में कार्य करते हुए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षाएं आयोजित की हैं। इस अवधि में कुल 07 ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई है।
- वर्तमान आयोग कार्यालय जल संसाधन विभाग के पुराने विश्रामगृह में संचालित है। जगह की कमी से कार्यालय संचालन में कठिनाई है। नया रायपुर में आयोग कार्यालय हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन पश्चात् तथा भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त एन.आर.डी.ए. द्वारा भवन निर्माण का कार्य दिनांक 26.06.2018 से प्रारंभ हो चुका है। भवन निर्माण का कार्य आगामी एक वर्ष में पूर्ण होना संभावित है।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आयोग को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि अपेक्षाओं के अनुरूप आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सके।

स्थान: रायपुर

दिनांक 15 / 10 / 2019



(के. आर. पिस्दा)
अध्यक्ष

अध्याय -दो

उत्पत्ति एवं विकास

लोक सेवा आयोगों के संस्थापन का आरंभ वर्ष 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषण पत्र में कहा गया कि—

“अधिकतर राज्यों में, जहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी हैं, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती हैं, कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया जावे, जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता हो। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं, कि ये सेवाएँ, क्रम से, अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएँगी, जिसके कारण यह उचित है, कि इस प्रकार की स्वायत्त संस्था का आरंभ किया जाय।”

1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे, जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के लिये विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने, अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था, कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे।

1. सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती।
2. सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना,
3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्यायविधान की कोटि का कार्य है।
4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

उक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था, कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार

उससे परामर्श ले। किसी किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी।

उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे, उनका सुधार तथा स्थायीकरण उसी श्वेतपत्र के द्वारा हुआ, जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा राज्यों के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था, कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि। उक्त श्वेतपत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया था, कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए।

1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है, कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया, कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक—पृथक लोक सेवा आयोग गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

सौजन्य :— विकिपिडिया

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ तथा उक्त संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315(1) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

अध्याय - तीन

लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

लोक सेवा आयोग गठन के संबंध में भारत के संविधान के प्रावधान इस प्रकार है :-

अनु. 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-

इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

अनु. 316. सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि :-

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी—अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी समिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(1) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परंतु—

- (क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- (ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबोधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

- (ग) कोई व्यक्ति, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

अनु. 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना:-

- (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
- (2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैयित्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।
- (4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अनु. 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीबृंद की सेवा और शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:-

संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
- (ख) आयोग के कर्मचारीबृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा :

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनु. 319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध- पद पर न रह जाने पर-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;

अनु. 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य :-

- (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- (2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अहंताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमे बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।
- (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से –
 - (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
 - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
 - (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,
- (ङ.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :
- परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी, कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।
- (5) राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान—मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे, जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधान—मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

अनु. 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति :- यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान—मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

अनु. 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय- संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

अनु. 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन- राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान—मंडल के समक्ष रखवाएगा।

अध्याय -चार

आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 23.05.2001 को किया गया है।

2. आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य शासन के अधीन विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों के लिए “पदोन्नति समिति” की बैठकें आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में की जाती है तथा विभागों के भर्ती नियमों एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन को परामर्श दिया जाता है।

3. आयोग में पदस्थ अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में विवरण निम्नवत है :—

| नाम | पदनाम | कार्यकाल |
|------------------------|---------|------------------------------------|
| श्री के.आर. पिस्दा | अध्यक्ष | दिनांक 17.01.2017 से निरंतर |
| श्री शिवनारायण पाण्डेय | सदस्य | दिनांक 05.12.2014 से निरंतर |
| श्री मोहन लाल मंडावी | सदस्य | दिनांक 10.11.2015 से 22.03.2019 तक |
| श्री सुकृत लाल साव | सदस्य | दिनांक 22.05.2017 से निरंतर |
| श्री डॉ. मोतीलाल बाचकर | सदस्य | दिनांक 05.10.2017 से निरंतर |

आयोग में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ रहे हैं :—

| क्र. | नाम | पदनाम | कार्यभार ग्रहण दिनांक |
|------|------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | श्री चन्द्रकान्त उईके (भा.प्र.से.) | सचिव | दिनांक 11.09.2017 से 03.05.2018 |
| 2 | श्रीमती पुष्पा साहू (भा.प्र.से.) | सचिव | दिनांक 03.05.2018 से निरंतर |
| 3 | श्रीमती पुष्पा साहू (रा.प्र.से.) | उप सचिव | दिनांक 10.11.2016 से 03.05.2018 |
| 4 | श्री ए.के. मिश्रा | परीक्षा नियंत्रक | दिनांक 11.09.2013 से 14.12.2018 |
| 5 | श्रीमती पुष्पा साहू (भा.प्र.से.) | सचिव | दिनांक 14.12.2018 से 11.02.2019 (परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार) |
| 6 | श्रीमती आरती वासनिक(रा.प्र.से.) | परीक्षा नियंत्रक | दिनांक 12.02.2019 से निरंतर |
| 7 | श्रीमती आरती वासनिक(रा.प्र.से.) | अपर परीक्षा नियंत्रक | दिनांक 04.05.2017 से निरंतर 11.02.2019 |
| 8 | श्री जे.एस. गोंड़ | अवर सचिव | दिनांक 25.06.2005 से निरंतर |
| 9 | श्री आर.के. ध्रुव | अवर सचिव | दिनांक 08.10.2015 से निरंतर |

आयोग हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी “परिशिष्ट—दो” में दी गई है।

➤ आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था

राज्य शासन ने आयोग में 05 संवैधानिक पद (01 अध्यक्ष, 04 सदस्य) सहित कुल 164 अधिकारियों व कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के अधिकांश पदों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साथ ही राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विधि अधिकारी का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु स्वीकृत है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कुल पद संख्या 164 के विरुद्ध 96 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकांश पदों पर प्रतिनियुक्ति पद अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं।

आयोग कार्यालय में कुल 164 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष 01, माननीय सदस्य 04 संवैधानिक पद हैं। शेष पद आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द के लिए स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:—

| क्रमांक | श्रेणी | अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत अधिकारीयों / कर्मचारियों की संख्या |
|---------|----------------|--|--|
| 1. | प्रथम श्रेणी | 12 | 06 |
| 2. | द्वितीय श्रेणी | 15 | 09 |
| 3. | तृतीय श्रेणी | 96 | 50 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | 36 | 27 |
| | योग | 159 | 92 |

अध्याय - पांच

आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन

आयोग को वर्ष 2018–19 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों से सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त मांग-पत्रों एवं आयोग द्वारा इसके परीक्षण उपरांत जारी विज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार हैः—

| संक्र. | पद का नाम | विभाग का नाम | कुल पद |
|---------|--|-----------------------------------|--------|
| 1 | सहायक भौमिकी विद् | खनिज साधन विभाग | 9 |
| | खनि निरीक्षक | | 31 |
| 2 | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | गृह (पुलिस) विभाग | 3 |
| 3 | रीडर | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 6 |
| 4 | राज्य सेवा परीक्षा—2018 | | 273 |
| 5 | सहायक संचालक, जनसंपर्क | जनसंपर्क विभाग | 10 |
| 6 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग—ख एवं ग | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 36 |
| 7 | सहायक संचालक (प्लानिंग / सर्वे / रिसर्च) | आवास एवं पर्यावरण विभाग | 15 |
| 8 | प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, सह प्राध्यापक | तकनीकी शिक्षा विभाग | 41 |
| 9 | सहायक प्राध्यापक | उच्च शिक्षा विभाग | 1384 |
| 10 | व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा—2019 | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 39 |
| 11 | सहायक संचालक | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 10 |
| 12 | ग्रंथपाल | उच्च शिक्षा विभाग | 56 |
| | क्रीड़ा अधिकारी | | 61 |
| 13 | व्याख्याता | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 17 |
| कृत योग | | | 1991 |

अध्याय - ४: ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात नियत समय के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समस्त आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

| सं. क्र. | परीक्षा का नाम | विज्ञापित कुल पद संख्या | आवेदन पत्रों की श्रेणीवार संख्या | | | | कुल आवेदन संख्या |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | अना. | अपि | अजजा | अजा | |
| 1 | राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 | 299 | 729 | 1573 | 617 | 1255 | 4213 मान. उच्च न्यायालय द्वारा 4174 + 39 |
| 2 | युवा कल्याण अधिकारी | 1 | | | | | |
| 3 | सहायक संचालक, प्रशासन, खेल अधिकारी | 4 | 1181 | 1112 | 302 | 239 | 2834 |
| 4 | वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान) बैकलॉग | 31 | 844 | 221 | 82 | 82 | 1229 + 4 |
| 5 | सहायक भौमिकीविद् | 9 | 844 | 125 | 37 | 34 | 1040 |
| 6 | खनि निरीक्षक | 22 | 1155 | 361 | 206 | 165 | 1887 |
| | | 09 (बैकलाग) | | | | | |
| 7 | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | 3 | 235 | 351 | 139 | 55 | 780 |
| 8 | राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2018 | 270 | 26146 | 36513 | 19355 | 13890 | 95904 |
| 9 | सहायक संचालक, जनसंपर्क | 10 | 172 | 115 | 43 | 45 | 375 |
| | कुल योग | 658 | 31306 | 40371 | 20781 | 15765 | 108223 + 43 |

अध्याय - सात

परीक्षा

आयोग द्वारा किसी पद विशेष की भरती की कार्यवाही के दौरान उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखकर 2 तरह से परीक्षा लिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम 10000 तक है तथा प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो परीक्षा ऑनलाईन ली जाती है तथा यदि उम्मीदवारों की संख्या 10000 से ज्यादा है या प्रश्न विवरणात्मक स्वरूप का है तो ऑफलाईन परीक्षा ली जाती है। प्रतिवेदित अवधि में उपरोक्त दोनों पद्धति से आयोजित परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है : –

(1) ऑनलाईन परीक्षा : -

वर्ष 2018–19 में आयोजित ऑनलाईन परीक्षा का विवरण इस प्रकार है : –

| सं. क्र. | पद का नाम | रिक्त पद | आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या | ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | युवा कल्याण अधिकारी | 1 | 2834 | 1020 |
| 2 | सहायक संचालक, प्रशासन, खेल अधिकारी | 4 | | 226 |
| 3 | वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान) बैकलॉग | 31 | 1229 + 4 | 546 |
| 4 | सहायक भौमिकीविद् | 9 | 1040 | 1235 |
| 5 | खनि निरीक्षक | 22 09 (बैकलाग) | 1887 | |
| 6 | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | 3 | 780 | 403 |
| 7 | सहायक संचालक, जनसंपर्क | 10 | 375 | 237 |

(2) ऑफलाईन परीक्षा : -

वर्ष 2018–19 में आयोजित ऑफलाईन/मैन्युवल परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है—

| सं.क्र. | पद का नाम | रिक्त पद | आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या | ऑफ लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या |
|---------|-----------------------------------|----------|--|--|
| 1 | राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2017 | 299 | 4213 मान. न्यायालय द्वारा 4174 + 39 | 3862 |
| 2 | राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2018 | 270 | 95904 | I-81372 II-80925 |

आयोग की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक एवं साक्षात्कार के अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

अध्याय - आठ

अंतिम चयन

आयोग द्वारा 01.04.2018 से 31.03.2019 तक जारी चयन सूची एवं पदवार अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | विज्ञापन क्रमांक | विभाग का नाम | पद का नाम | पद संख्या | चयन सूची जारी होने की तिथि | मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या | चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि |
|------|---|---------------------------------------|---|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | विज्ञापन क्रमांक 10 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 10.08. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 16.08.2017 | गृह (ज़ेल) विभाग | विधि अधिकारी | 2 | दिनांक 13.04.2018 | 2 | 17/04/2018 |
| 2 | विज्ञापन क्रमांक 06 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 28.04. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 03.05.2017 | उच्च शिक्षा विभाग | रजिस्ट्रार | 3 | दिनांक 13.04.2018 | 3 | 27/04/2018 |
| 3 | विज्ञापन क्रमांक 05 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 12.04. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | व्यवहार न्यायाधीश | 25 | दिनांक 13.04.2018 | 25 | 27/04/2018 |
| 4 | विज्ञापन क्रमांक 11 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 26.09. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 04.10.2017 | स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण विभाग | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक | 69 | दिनांक 11.05.2018 | 66 | 24/05/2018 |
| 5 | विज्ञापन क्रमांक 11 / 2014 / परीक्षा दिनांक 05 / 09 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10 / 09 / 2014, शुद्धि पत्र विज्ञापन क्र. 11 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 05. 09.2014 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग), तथा शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 02.01. 2016 | उच्च शिक्षा विभाग | अंग्रेजी भौतिकशास्त्र राजनीतिशास्त्र वाणिज्य रसायनशास्त्र अर्थशास्त्र इतिहास वनस्पतिशास्त्र प्राणी शास्त्र भूगोल | 735 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 319 | 04/09/2018 |
| 6 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— अर्थशास्त्र | 39 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 29.09.2018 | 38 | 04/09/2018 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|---|-------|--|
| 7 | विज्ञापन क्रमांक 15 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 21.12.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 27 / 12 / 2017 | वन विभाग | सहायक वन संरक्षक, वनक्षेत्रपाल | 59 | दिनांक 07.12.2018 | 58 | 24/12/2018 |
| 8 | विज्ञापन क्रमांक 02 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 20.02.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 21 / 02 / 2018 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | सहायक संचालक, प्रशासक, खेल अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी | 5 | दिनांक 12.12.2018 | 5 | 24/12/2018 |
| 9 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 17 / 01 / 2018 | छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर | ग्रंथपाल | 1 | दिनांक 22.12.2018 | 1 | 24/12/2018 |
| 10 | विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015 | तकनीकी शिक्षा विभाग | विभागाध्यक्ष— मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (पॉलीटेक्निक संस्था) | 1 | संशोधित, दिनांक 17.12.2018 | निरंक | 29/12/2018 |
| 11 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— अंग्रेजी, भूगोल | 75 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 17.12.2018 | 70 | 29/12/2018 |
| 12 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 17 / 01 / 2018 | छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय रायपुर हेतु | स्टोर कीपर | 1 | दिनांक 04. 01. 2019 | 1 | 05/01/2019 |
| 13 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— रसायनशास्त्र | 104 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 18.01.2019 | 82 | 22/01/2019 |
| 14 | विज्ञापन क्रमांक 06 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 19 / 09 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.09.2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | रीडर स्वस्थ्यवृत्त, रीडर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, रीडर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, रीडर अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद, रीडर कौमारभूत्य, रीडर शालाक्य तंत्र | 6 | दिनांक 25. 01. 2019 | 6 | 02/02/2019 |
| 15 | विज्ञापन क्र. 14 / 2017 / परीक्षा दिनांक 25 / 11 / 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 29.11.2017 | छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभिन्न 18 विभाग | राज्य सेवा परीक्षा—2017 विभिन्न 18 पद | 299 | दिनांक 29. 01. 2019 | 291 | 11/02/2019 18/02/2019 13/02/2019 15/02/2019 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 16 | विज्ञापन क्रमांक 13 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 27.10. 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 01 / 11 / 2017 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (मेकेनिकल), सहायक अभियंता (विद्युत) | 26 | दिनांक 13. 02. 2019 | 26 | 25/02/2019 |
| 17 | विज्ञापन क्रमांक 03 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 23.03. 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 28 / 03 / 2018 | गृह (पुलिस) विभाग | वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी), वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन), वैज्ञानिक अधिकारी (जीव) | 31 | दिनांक 20. 02. 2019 | 14 | 25/02/2019 |
| 18 | विज्ञापन क्रमांक 05 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 19 / 07 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 25 / 07 / 2018 | गृह (पुलिस) विभाग | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | 3 | दिनांक 27. 02. 2019 | 3 | 06/03/2019 |
| 19 | विज्ञापन क्रमांक 04 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 12 / 04 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 18 / 04 / 2018 | खनिज साधन विभाग | सहायक भौमिकीविद्, खनि निरीक्षक | 40 | दिनांक 07. 03. 2019 | 10 | 11/03/2019 |
| योग | | | | 1524 | | 1020 | |

(विवरण परिशिष्ट-तीन में प्रदर्शित)

अध्याय - नौ

राज्य सेवा परीक्षा-2017 में चयनित 291 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक-समाजिक स्तर की जानकारी

राज्य सेवा परीक्षा-2017 में कुल विज्ञापित पद—299

राज्य सेवा परीक्षा-2017 में कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या—291

आयु समूह—

| आयु समूह | संख्या | प्रतिशत | | |
|----------------|------------|---------|-------|-------|
| आयु समूह 21-25 | 118 | 40.55 | | |
| आयु समूह 26-30 | 141 | 48.45 | 89.00 | 89.00 |
| आयु समूह 31-35 | 26 | 8.93 | | 8.93 |
| आयु समूह 36-40 | 06 | 2.06 | 11.09 | |
| आयु समूह 41-45 | 0 | 0.00 | | 2.06 |
| योग | 291 | | | |

प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के—

| क्रमांक | क्षेत्र | संख्या |
|---------|------------------------|------------|
| 1- | छ.ग. के निवासी | 290 |
| 2- | छ.ग. के बाहर के निवासी | 1 |
| | योग | 291 |

ग्रामीण या शहरी परिवेश

| क्रमांक | क्षेत्र | संख्या |
|---------|------------|------------|
| 1- | ग्रामीण | 159 |
| 2- | शहरी | 132 |
| | योग | 291 |

संकाय— गणित, यांत्रिकी, वाणिज्य, कला, विज्ञान, मेडिकल, कृषि :-

| विषय | चयनित | प्रतिशत |
|-------------|------------|------------|
| इंजिनियरिंग | 199 | 68.38 |
| विज्ञान | 43 | 14.78 |
| चिकित्सा | 13 | 4.47 |
| कला | 22 | 7.56 |
| वाणिज्य | 13 | 4.47 |
| कृषि | 1 | 0.34 |
| योग | 291 | 100 |

अध्याय - दस

आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

1. आयोग द्वारा विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रणाली पूर्णतः बंद कर दी गई है।
2. आयोग के अधिकांश परीक्षा / चयन संबंधी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया है।
3. विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार एवं जिलेवार जानकारी के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
4. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार या उससे कम होती है, उन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार से अधिक अथवा परीक्षा विवरणात्मक होती है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन (मैन्युवल) परीक्षाओं हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं मुख्य परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. प्रश्न सह— उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है।
6. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित (ऑनलाइन / ऑफलाइन) परीक्षा के बाद आयोग द्वारा मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है।
7. सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार बोर्ड का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के पश्चात्, प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावती को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
9. कम्प्यूटराईज्ड अंक सूची की सुविधा अभ्यर्थियों को दी जाती है।


(विवरण परिशिष्ट—चार में दर्शित)

अध्याय - ग्यारह

भर्ती नियम सेवा नियम

वर्ष 2018–19 में नये भर्ती नियम बनाने/संशोधन किये जाने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से कुल – 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से आयोग द्वारा 17 सभी प्रकरणों में एवं पूर्व के 01 प्रकरण इस प्रकार कुल 18 प्रकरणों पर अभिमत/सहमति दी गई। पिछले दो वर्षों में भर्ती नियम बनाने/संशोधन के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 11.1) में दर्शायी गई है। (विवरण परिशिष्ट—पाँच में दर्शित)

विभागीय भर्ती नियम/ संशोधन के प्रस्तावों पर आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण



आरेख 11.1


अध्याय - बारह

पदोन्नतियाँ

वर्ष 2018-19 दिनांक 01.04.2018 से 21.02.2019 तक की अवधि में शासन के **31** विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कुल **112** बैठकें आयोजित की गई। उक्त बैठकों में कुल **4645** अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा **2111** अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई (आरेख 12.1)।

कुल पदोन्नति


| | |
|----------|------|
| विचारित | 4645 |
| अनुशंसित | 2111 |



आरेख 12.1

आयोग में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठकों में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **92**, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **326**, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **466**, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **1193** अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा तथा शासनाधीन किए गए शासकीय महाविद्यालय के 34 अधिकारियों के आमेलन/संविलियन की अनुशंसा किया गया है। (आरेख 12.2)

| अधिकारियों की सख्ता | प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी | आमेलन/संविलियन | योग |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| विचारित | 236 | 647 | 765 | 2953 | 44 | 4645 |
| अनुशंसित | 92 | 326 | 466 | 1193 | 34 | 2111 |



आरेख 12.2

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WA No. 409/ 2013 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 के परिपेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.02.2019 में निर्देश जारी किया गया है कि छ.ग. लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त किये जाने के कारण प्रत्येक प्रवर्ग में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखी जाए। उक्त निर्देश के परिपालन में दिनांक 23.02.2019 के पश्चात् पदोन्नति की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है।

विभागीय पदोन्नति के प्रस्तावों के निराकरण में प्रतिवेदन अवधि में सुधार हुआ है एवं शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकांश प्रकरणों में समय—सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। विभागीय पदोन्नति के लिये प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिये। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती है। (पदवार पदोन्नति विवरण परिशिष्ट—छ: में दर्शित)


अध्याय - तेरह

अनुशासनिक मामले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अंतर्गत प्राप्त हुए 78 प्रकरणों पर आयोग द्वारा विचारोपरांत अभिमत दिया गया। (**(विवरण परिशिष्ट— सात में दर्शित)**)

विगत दो वर्षों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 13.1) में दर्शायी गई है।



आरेख 13.1

अध्याय - चौदह

वित्त

वित्त:-

चत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के वित्त प्रभाग के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं, जो राज्य शासन द्वारा पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आयोग के वित्तीय मामलों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं। वित्त प्रभाग आयोग का बजट तैयार करने तथा वित्तीय मामले में व्यय नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में आयोग को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के बजट एवं वित्तीय सलाहकार के लिए वित्त विभाग से उप संचालक (वित्त) की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है, जो वित्तीय पृष्ठभूमि वाले राज्य वित्त सेवा के अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बजटीय स्थिति:-

चत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एक संवैधानिक संस्था है, जिसके संविधान द्वारा कठिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ, राज्य शासन के अधीन राज्य प्रशासनिक स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राशि 21,10,00,000=00 का बजट प्रावधान किया गया था, जो मुख्यतः आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं स्थापना व्यय के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व है, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर व्यय सीधे आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। उक्त बजट में से राशि 14,41,75,909=00 का व्यय हुआ तथा राशि 6,68,24,091=00 की बचत हुई। बचत मुख्यतः वेतन मदों में हुई, जिसका कारण रिक्त पदों का होना है। बचत राशि 6,68,24,091=00 का समर्पण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क से कुल राशि 6,37,70,550=00 राजस्व प्राप्ति हुई। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति तालिका-1 में एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त राजस्व प्राप्ति की जानकारी तालिका-2 में दी गई है :—

तालिका - 1

(रु. लाखों में)

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय | अप्रयुक्त निधि | व्यय का प्रतिशत (%) |
|--------------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2018-19 | 2110.00 | 1441.76 | 668.24 | 68.33% |

तालिका - 2

| वित्तीय वर्ष | राजस्व प्राप्ति | रिमार्क |
|--------------|-----------------|--|
| 2018-19 | 6,37,70,550.00 | भारतीय स्टेट बैंक, मेन ब्रांच, रायपुर में विभिन्न चालानों के माध्यम से शासकीय कोष में राजस्व प्राप्ति की राशि को जमा किया गया। |

(विवरण परिशिष्ट-आठ में दर्शित)

अध्याय - पंद्रह

न्यायालयीन प्रकरण

प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त एवं निराकृत विधिक प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार रही :—

| क्रमांक | विवरण | प्रकरण संख्या | | |
|---------|--|------------------------|--------------------------|----------|
| | | मान. उच्च न्यायालय में | मान. उच्चतम न्यायालय में | योग |
| 1 | दिनांक 31.03.2018 को लंबित प्रकरण संख्या | 443 | 01 | 444 |
| 2 | दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक दर्ज नवीन प्रकरण संख्या | 109 | 05 | 114 |
| 3 | कुल लंबित प्रकरणों की संख्या | 552 | 06 | 558 |
| 4 | दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या | 117 | 00 | 117 |
| 5 | दिनांक 31.03.2019 को लंबित प्रकरणों की संख्या | 435 | 06 | 441 |
| 6 | निराकृत प्रकरणों का विवरण 1. आयोग के पक्ष में 2. आयोग के विरुद्ध | 65 52 | 00 00 | 65 52 |

अध्याय - सोलह

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रकरणों के निराकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनसूचना अधिकारी (सामान्य), जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) एवं अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियाँ एवं उनको प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :—

| क्रं. | अधिकारी का नाम | पद नाम | जनसूचना / अपीलीय अधिकारी | दूरभाष क्रमांक |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | श्रीमती आरती वासनिक | परीक्षा नियंत्रक | अपीलीय अधिकारी | 0771—2331204 |
| 2 | श्री आर. के. ध्रुव | अवर सचिव | जनसूचना अधिकारी (सामान्य) | 0771—2331204 |
| 3 | श्री राजेश कुमार साहू | उप परीक्षा नियंत्रक | जन सूचना अधिकारी (परीक्षा) | 0771—2331204 |

सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

| शाखा | विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या | वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या | योग कॉलम (2+3) | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | अस्वीकृत आवेदनों की संख्या | कुल निराकृत आवेदनों की संख्या | वर्ष के अंत में शेष आवेदनों की संख्या |
|---------------------------|--|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जनसूचना अधिकारी (सामान्य) | — | 87 | 87 | 62 | 25 | 87 | — |
| जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) | — | 731 | 731 | 730 | 01 | 731 | — |
| योग | — | 818 | 818 | 792 | 26 | 818 | — |

प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा निराकृत किये गये अपीलों का विवरण:-

| विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या | इस वर्ष में प्राप्त अपील प्रकरण की संख्या | योग | स्वीकृत अपीलों की संख्या | अस्वीकृत अपीलों की संख्या | कुल निराकृत अपील | वर्ष के अंत में शेष अपीलों की संख्या |
|--|---|-----|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 27 | 83 | 110 | 38 | 57 | 95 | 15 |

वेबसाइट पर सूचना का अधिकार-2005 के अंतर्गत जानकारी देना-

1. आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी के स्व-सक्रिय प्रगटीकरण की व्यवस्था की गई है।
2. प्रत्येक माह परीक्षा अनुभाग, सामान्य अनुभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या, पूर्व माह के लंबित आवेदनों की संख्या, उस माह में कुल निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

अध्याय - सत्रह

प्रस्तावित कार्य योजना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बाद से ही आयोग की प्रक्रियाओं में कम्प्यूटर तकनीकी के प्रयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। शुरुआती दौर में आउटसोर्सिंग के द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं में कम्प्यूटर तकनीकी का प्रयोग किया गया। आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की गोपनीय एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग को न्यून करने के उद्देश्य से आयोग में तकनीकी अमलों की पदस्थापना की गई। वर्तमान में आयोग द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में से सभी प्रकार के आवेदनों एवं सीमित आवेदक संख्या वाली परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, जिनको आयोग स्तर पर तकनीकी अमले की मदद से नियंत्रित व प्रबंधित किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाओं के विकास के द्वारा आयोग के कार्यों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करके, प्रक्रियाओं को त्रुटिविहीन एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कतिपय अनुशंसाओं के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही लंबित है। अनुशंसा अनुरूप नवीन पदों की स्वीकृति के साथ ही आयोग द्वारा कुछ अति संवेदनशील प्रक्रियाओं में आउटसोर्सिंग को समाप्त करने तथा अनेक प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकेगा—

1. ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया

जाना- वर्तमान में ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिकाओं की स्केनिंग तथा मूल्यांकन कार्य हेतु सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। आयोग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों जो ओ.एम.आर. प्रक्रियाओं के परिचालन में दक्ष हैं, के साथ कार्य करने हेतु कुछ कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा आउटसोर्सिंग को समाप्त कर आयोग के व्यय को कम करने के साथ ही उक्त संवेदनशील प्रक्रिया में बाहरी व्यक्तियों के शामिल होने से कार्य की गोपनीयता तथा सूचिता को दूषित होने से रोका जा सकेगा।

2. बन टाइम आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन- वर्ष 2011 से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी प्रकार के आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को हर बार व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव एवं अन्य जानकारियों की प्रविष्टि तथा फोटो व हस्ताक्षर की अपलोडिंग नए सिरे से करनी होती है। उक्त प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को हर बार प्रविष्टियों एवं अपलोडिंग हेतु समय देना होता है, जिसके लिए उन्हें कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अतिरिक्त समय व धन (साइबर कैफे शुल्क) / अधोसंरचना की

आवश्यकता पड़ती है। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी के शुरुआती स्तर पर वैधता परीक्षण का विकल्प न होने तथा परीक्षा के समय परीक्षार्थियों की पहचान की पुख्ता व्यवस्था न होने से यह प्रक्रिया आयोग हेतु कुछ समस्याओं का कारण बनती है।

यदि उक्त प्रक्रिया को आधार बेरस्ड कर दिया जाए तो ऑनलाइन आवेदन के साथ—साथ परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी। वन टाइम आधार बेरस्ड रजिस्ट्रेशन के द्वारा अभ्यर्थी को उन्हीं विज्ञापनों के लिंक उपलब्ध हो सकेंगे जिनके लिए वे अर्ह हों साथ ही उपलब्ध लिंक से संबंधित विज्ञापन में रुचि होने पर अभ्यर्थी को केवल अपनी सहमति दर्शित करते हुए आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। इस प्रकार अभ्यर्थियों के समय व धन की हानि को रोका जा सकेगा। इस प्रक्रिया से आयोग की कार्य प्रणाली में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन हो सकेंगे।

3. विभागीय पदोन्नति/जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना-

आयोग की स्थापना के समय से ही आयोग द्वारा समय—समय पर विभागीय पदोन्नति / जांच, भर्ती नियम के अनुमोदन व मांग—पत्र प्राप्ति के लिए आवश्यक जानकारी की सूची व प्रारूप संशोधित कर विभागों को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, जिससे उक्त प्रक्रिया द्रुत गति से संपन्न हो सके। प्रायः यह देखा गया है कि विभागों द्वारा अधूरी एवं निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण होने से कार्यवाही योग्य नहीं होते हैं। उक्त त्रुटियों के निवारण अथवा अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागों से अनेक पत्राचार करने होते हैं, जिससे कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभागों से एक ही बार में पदोन्नति / विभागीय जांच / भर्ती नियम अनुमोदन / मांग पत्र के लिए आवश्यक, सम्पूर्ण एवं कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से परीक्षित जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे संबंधित कार्यवाही में तेजी आएगी। ऑनलाइन प्रक्रियाओं में कम्प्यूटरीकृत गणनाएं, वैधता परीक्षण, डाटा लिंकिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश से लिपिकीय त्रुटियों को समाप्त किया जा सकेगा, साथ ही प्रक्रियाएं समस्त संबंधितों हेतु अधिकतम पारदर्शी हो सकेंगे। इस प्रकार न्यायालयीन वाद की स्थितियों की संभावना समाप्त की जा सकेगी।

4. आयोग कार्यालय को पेपरलेस किया जाना-

वर्तमान में आयोग कार्यालय में नस्तियों के संचलन की प्रक्रिया पूर्णतः मैन्युवल होने के कारण इस कार्य हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, साथ ही नस्तियों की ट्रेकिंग का कार्य भी अत्यंत जटिल एवं समय की हानि करने वाला होता है। आयोग कार्यालय की समस्त आंतरिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर आयोग कार्यालय को पेपरलेस किए जाने की योजना है, इससे नस्तियों का समयबद्ध संचलन एवं समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अध्याय - अठारह

कृतज्ञता ज्ञापन

स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार संपूर्ण सूचिता के साथ किए गए कार्यों से ही किसी भी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। संविधान के भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। समग्र राज्य हेतु लोक सेवकों के चयन एवं पदोन्नति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विभागों हेतु भर्ती नियमों का अनुमोदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक दायित्व हैं।

संविधान के अनुच्छेद 323 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राज्य के माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से लोक सेवा आयोग अपने साल भर के क्रिया कलापों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ भावी कार्य योजनाओं को माननीय राज्यपाल तथा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2017–18 में आयोग द्वारा संपादित कार्यों का समग्र प्रस्तुतीकरण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

आयोग, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए अनके प्रति आभार व्यक्त करता है। आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों के कठोर परिश्रम और दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन की भी हार्दिक सराहना करता है जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सफल रहा है।

पुष्पा साहू
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग

दिनांक –

परिशिष्ट - एक

आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृत्तान्त

| | |
|--------------------------------------|--|
| श्री कृष्णराम पिस्दा | अध्यक्ष |
| आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि | 17 / 01 / 2017 |
| जन्मतिथि | 02.06.1958 |
| शिक्षा | एम0ए0 (अर्थशास्त्र), पी.एच.डी. (नक्सलवाद तथा आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—दंतेवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) |
| सेवा विवरण / पदस्थापना | <p><u>राज्य प्रशासनिक सेवा (1982 बैच):—</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुविभागीय अधिकारी, छिंदवाड़ा, सौसर (जिला छिंदवाड़ा) होशंगाबाद, पिपरिया (जिला होशंगाबाद), खरसिया, घरघोड़ा (जिला रायगढ़) 2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) 3. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायसेन (म.प्र.) 4. अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा (म.प्र.) 5. उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर (म.प्र.) 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.) <p><u>भारतीय प्रशासनिक सेवा (1996 बैच)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर 3. संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ रायपुर आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ रायपुर 4. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर 5. मिशन संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर 6. आयुक्त, भू—अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, 8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन शिकायत निवारण विभाग, 10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग |
| शासकीय सेवा से सेवा निवृत्ति की तिथि | 16 जनवरी 2017 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| श्री शिव नारायण पाण्डेय | : सदस्य |
| आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि | : 05.12.2014 |
| जन्म तिथि | : 01.01.1962 |
| शिक्षा | : बी.एस.सी., एल.एल.बी. |
| सेवा विवरण / पदस्थापना | <ul style="list-style-type: none"> ● स्टेट बार कॉसिल ऑफ छ.ग. में दस वर्षों तक सदस्य। ● बार कॉसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति का दो वर्ष सदस्य। ● विगत 28 वर्ष विधि सलाहकार अधिवक्ता। ● जिला सहकारी बैंक बस्तर जगदलपुर में 05 वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर (वर्ष 2008 से 2012 तक) |

| | |
|---|---|
| श्री मोहन लाल मण्डावी | : सदस्य |
| आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि | : 10 / 11 / 2015 |
| जन्मतिथि | : 01 / 05 / 1957 |
| शिक्षा | : एम.ए. इतिहास |
| सेवा विवरण / पदस्थापना – | <ul style="list-style-type: none"> ● सदस्य, राज्य शिक्षा आयोग छ.ग. |
| सदस्य पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की तिथि | : 22 / 03 / 2019 |

| श्री सुकृत लाल साव | सदस्य |
|-----------------------------------|--|
| आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि | 22/05/2017 |
| जन्मतिथि | 03/04/1960 |
| शिक्षा | एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान) |
| सेवा विवरण / पदस्थापना | <p>1 1982–84 वन क्षेत्रपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र)</p> <p>2 1984–86 राज्य वन सेवा प्रशिक्षण, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून</p> <p>3 1986–87 सहा.वन संरक्षक (परिवीक्षाधीन) कोणडागांव वनमंडल कोणडागांव बस्तर</p> <p>4 1987–92 उप प्रबंधक, कार्या वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर</p> <p>5 1992–95 अनुविभागीय अधिकारी, रेहण्ड उप वनमंडल उत्तर सरगुजा वनमंडल अंबिकापुर, सरगुजा</p> <p>6 1995–03(i) प्रभारी वनमंडलाधिकारी (भू—प्रबंध) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (ii) प्रभारी आरेंज एरिया इकाई, राजनांदगांव (iii) अनुविभागीय अधिकारी (उत्पा.) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव (iv) अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर उप वनमंडल राजनांदगांव</p> <p>7. 2003–04 सहायक वन संरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर</p> <p>8. 2004–06 वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल रायगढ़</p> <p>9. 2006–08 वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर</p> <p>10. 2008–09 उप महाप्रबंधक, कार्या. प्रबंध संचालक छ.ग.रा.लघु वनोपज संघ रायपुर</p> <p>11. 2009–11 वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़</p> <p>12. 2011–14 उप वनसंरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग.रा.लघु वनोपज संघ रायपुर</p> |

| | | | |
|--|-------------------|---------|--|
| | 13. | 2014–16 | वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छ.ग. रायपुर |
| | 14. | 2016–17 | मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर |
| विदेश यात्रा | 1. | 2015 | फिनलैंड |
| | 2. | 2015 | एस्टोनिया |
| | 3. | 2015 | रूस |
| शा. सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि | 16 मई 2017 | | |

| डॉ. मोतीलाल बाचकर : सदस्य | |
|--|--|
| आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि | : 05 / 10 / 2017 |
| जन्मतिथि | : 02 / 01 / 1961 |
| शिक्षा | : एम.बी.बी.एस, एम.डी मेडिसीन |
| सेवा विवरण / पदस्थापना | <ul style="list-style-type: none"> • खण्ड चिकित्सा अधिकारी 1990 से 2001 तक • सामु. स्वा. केन्द्र मानपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी • सामु. स्वा. केन्द्र बोडल में वर्ष 1994 से 2001 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी • सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2001 से 2007 तक (मेडिकल ऑफिसर) • मेडिकल स्पेशलिस्ट • सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2007 से 2014 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट • जिला चिकित्सालय कवर्धा में वर्ष 2014 से 2017 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट • सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक सितम्बर 2017 से 04 अक्टूबर 2017 तक |
| शा.सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि | 04 अक्टूबर 2017 |

परिशिष्ट - दो

आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में)

| क्र. | पद का नाम | वेतन बेण्ड | ग्रेड – पे | लेवल | पद संख्या | | |
|------|--|-------------------------|------------|---|-----------|---------|-------|
| | | | | | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | माननीय अध्यक्ष | 80,000 | - | Level-17 (Center Govt.) | 1 | 1 | - |
| 2. | माननीय सदस्य | 67,000-79000 | - | Level-15 (Center Govt.) | 4 | 3 | 1 |
| 3. | सचिव | 37,400-67,000 | 8,700 | Level-13 (Center Govt.) | 1 | 1 | - |
| 4. | विधिक सलाहकार | 70,290-1,540- 76,450 | - | - | 1 | - | 1 |
| 5. | उप सचिव भा.प्र.से / रा.प्र.से | 15,600-39,100 | 7,600 | Level-12 (Center Govt.) /Level-14(State Govt.) | 1 | - | 1 |
| 6. | परीक्षा नियंत्रक | 15,600-39,100 | 6,600 | Level-13 | 1 | 1 | - |
| 7. | सीनियर मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा) | 37400-67000 | 8700 | Level-15 | 1 | - | 1 |
| 8. | मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा) | 15600-39100 | 7600 | Level-14 | 1 | - | 1 |
| 9. | अवर सचिव | 15,600-39,100 | 6,600 | Level-13 | 2 | 2 | - |
| 10. | उप संचालक (वित्त) | 15,600-39,100 | 6,600 | Level-13 | 1 | 1 | - |
| 11. | स्टॉफ ऑफिसर | 15,600-39,100 | 6,600 | Level-13 | 1 | 1 | - |
| 12. | वरिष्ठ प्रोग्रामर (आउटसोर्सिंग / संविदा) | 15,600-39,100 | 6,600 | Level-13 | 2 | - | 2 |
| 13. | अपर परीक्षा नियंत्रक | 15,600-39,100 | 5,400 | Level-12 | 1 | - | 1 |
| 14. | विधि अधिकारी | 15,600-39,100 | 5,400 | Level-12 | 1 | - | 1 |
| 15. | प्रोग्रामर | 15,600-39,100 | 5,400 | Level-12 | 2 | 2 | - |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------|-------|----------|-----|----|----|
| 16. | सांख्यिकी अधिकारी | 15,600-39,100 | 5,400 | Level-12 | 1 | - | 1 |
| 17. | उप परीक्षा नियंत्रक | 9,300-34,800 | 4,400 | Level-10 | 1 | 1 | - |
| 18. | अनुभाग अधिकारी | 9,300-34,800 | 4,800 | Level-11 | 7 | 5 | 2 |
| 19. | निज सचिव | 9,300-34,800 | 4,800 | Level-11 | 2 | 1 | 1 |
| 20. | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 9,300-34,800 | 4,300 | Level-09 | 1 | 1 | - |
| 21. | सहायक प्रोग्रामर | 9,300-34,800 | 4,300 | Level-09 | 1 | 1 | - |
| 22. | सहायक प्रोग्रामर (संविदा) | 9,300-34,800 | 4,300 | Level-09 | 2 | - | 2 |
| 23. | शीघ्रलेखक / निजसहायक | 9,300-34,800 | 4,300 | Level-09 | 3 | 1 | 2 |
| 24. | सहायक ग्रेड-1 | 9,300-34,800 | 4,300 | Level-09 | 16 | 9 | 7 |
| 25. | ग्रंथपाल | 9,300-34,800 | 4,200 | Level-08 | 1 | 1 | - |
| 26. | स्टोर कीपर | 9,300-34,800 | 4,200 | Level-08 | 1 | 1 | - |
| 27. | शीघ्रलेखक ग्रेड-3 | 5,200-20,200 | 2,800 | Level-07 | 5 | 3 | 2 |
| 28. | सहायक ग्रेड-2 | 5,200-20,200 | 2,400 | Level-06 | 16 | 14 | 2 |
| 29. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5,200-20,200 | 2,400 | Level-06 | 4 | 4 | - |
| 30. | स्टेनोटायपिस्ट | 5,200-20,200 | 1,900 | Level-04 | 3 | - | 3 |
| 31. | सहायक ग्रेड-3 | 5,200-20,200 | 1,900 | Level-04 | 32 | 7 | 25 |
| 32. | वाहन चालक | 5,200-20,200 | 1,900 | Level-04 | 8 | 5 | 3 |
| 33. | वाहन चालक | 5,200-20,200 | 1,900 | Level-04 | 2 | 2* | - |
| 34. | दफतरी | 4,750-7,440 | 1,400 | Level-02 | 3 | 3 | - |
| 35. | जमादार | 4,750-7,440 | 1,400 | Level-02 | 1 | 1 | - |
| 36. | डाक रनर | 4,750-7,440 | 1,300 | Level-01 | 2 | - | 2 |
| 37. | भृत्य | 4,750-7,440 | 1,300 | Level-01 | 16 | 10 | 6 |
| 38. | फर्राश | 4,750-7,440 | 1,300 | Level-01 | 2 | 1 | 1 |
| 39. | वाहन चालक (कलेक्टर दर) | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 40. | भृत्य (कलेक्टर दर) | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 41. | माली (कलेक्टर दर) | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 42. | सफाई कर्मचारी(कलेक्टर दर) | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | योग | | | | 164 | 96 | 68 |

परिशिष्ट - तीन

अंतिम चयन

आयोग द्वारा 01.04.2018 से 31.03.2019 तक जारी चयन एवं पदवार

अनुशंसित अभ्यर्थियों की सख्त्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | विज्ञापन क्रमांक | विभाग का नाम | पद का नाम | पद संख्या | चयन सूची जारी होने की तिथि | मुख्य सूची में चयनित आवेदकों के श्रेणीवार संख्या | | | | मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या | चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--|-----|----|-----|--|--|
| | | | | | | UR | SC | ST | OBC | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | विज्ञापन क्रमांक 10 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 10.08.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 16.08.2017 | गृह (ज़ेल) विभाग | विधि अधिकारी | 2 | दिनांक 13.04.2018 | 1 | NIL | 1 | NIL | 2 | 17/04/2018 |
| 2 | विज्ञापन क्रमांक 06 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 28.04.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 03.05.2017 | उच्च शिक्षा विभाग | रजिस्ट्रार | 3 | दिनांक 13.04.2018 | 1 | NIL | 1 | 1 | 3 | 27/04/2018 |
| 3 | विज्ञापन क्रमांक 05 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 12.04.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | व्यवहार न्यायाधीश | 25 | दिनांक 13.04.2018 | 10 | 3 | 8 | 4 | 25 | 27/04/2018 |
| 4 | विज्ञापन क्रमांक 11 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 26.09.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 04.10.2017 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक | 69 | दिनांक 11.05.2018 | 21 | 13 | 23 | 9 | 66 | 24/05/2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-----|--|----|-----|-----|-----|----|------------|
| 5 | विज्ञापन क्रमांक 11 / 2014 / परीक्षा दिनांक 05 / 09 / 2014 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10 / 09 / 2014, शुद्धि पत्र विज्ञापन क्र. 11 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 05.09.2014 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग), तथा शुद्धि पत्र क्र. 01 / 2016 / परीक्षा / दिनांक 02.01.2016 | उच्च शिक्षा विभाग | अंग्रेजी | 85 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 2 | 1 | NIL | NIL | 3 | 04/09/2018 |
| | | | भौतिकशास्त्र | 42 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 5 | 3 | NIL | 3 | 11 | 04/09/2018 |
| | | | राजनीति शास्त्र | 61 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 24 | 7 | 11 | 8 | 50 | 04/09/2018 |
| | | | वाणिज्य | 154 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 52 | 4 | 4 | 12 | 72 | 04/09/2018 |
| | | | रसायनशास्त्र | 100 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 33 | 10 | 6 | 11 | 60 | 04/09/2018 |
| | | | अर्थशास्त्र | 56 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 16 | 4 | 2 | 2 | 24 | 04/09/2018 |
| | | | इतिहास | 29 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 04/09/2018 |
| | | | वनस्पतिशास्त्र | 80 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 2 | NIL | 1 | 1 | 4 | 04/09/2018 |
| | | | प्राणी शास्त्र | 75 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 29 | 3 | 2 | 1 | 35 | 04/09/2018 |
| | | | भूगोल | 53 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 25.08.2018 | 21 | 6 | 8 | 8 | 43 | 04/09/2018 |
| 6 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— अर्थशास्त्र | 39 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 29.09.2018 | 21 | 5 | 7 | 5 | 38 | 04/09/2018 |
| 7 | विज्ञापन क्रमांक 15 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 21.12.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 27 / 12 / 2017 | वन विभाग | सहायक वन संरक्षक | 13 | दिनांक 07.12.2018 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 24/12/2018 |
| | | | वन क्षेत्रपाल | 46 | दिनांक 07.12.2018 | 19 | 5 | 14 | 7 | 45 | 24/12/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------|
| 8 | विज्ञापन क्रमांक 02 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 20.02.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 21 / 02 / 2018 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | सहायक संचालक | 2 | दिनांक 12.12.2018 | 1 | NIL | 1 | NIL | 2 | 24/12/2018 |
| | | | प्रशासक | 1 | दिनांक 12.12.2018 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 24/12/2018 |
| | | | खेल अधिकारी | 1 | दिनांक 12.12.2018 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 24/12/2018 |
| | | | युवा कल्याण अधिकारी | 1 | दिनांक 12.12.2018 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 24/12/2018 |
| 9 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 17 / 01 / 2018 | छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर | ग्रंथपाल | 1 | दिनांक 22.12.2018 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 24/12/2018 |
| 10 | विज्ञापन क्रमांक 13 / 2015 / परीक्षा दिनांक 17.12.2015 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 23 / 12 / 2015 एवं शुद्धि पत्र क्र 08 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 28.12.2015 | तकनीकी शिक्षा विभाग | विभागाध्यक्ष— माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (पॉलीटेक्निक संस्था) | 1 | संशोधित, दिनांक 17.12.2018 | NIL | NIL | NIL | NIL | निरंक | 29/12/2018 |
| 11 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— अंग्रेजी | 61 | संशोधित, दिनांक 17.12.2018 | 32 | 8 | 10 | 7 | 57 | 29/12/2018 |
| | | | सहायक प्राध्यापक— भूगोल | 14 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 17.12.2018 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 29/12/2018 |
| 12 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 17 / 01 / 2018 | छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय रायपुर हेतु | स्टोर कौपर | 1 | दिनांक 04.01.2019 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 05/01/2019 |
| 13 | विज्ञापन क्रमांक 01 / 2009 / परीक्षा दिनांक 15 / 05 / 2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20 / 05 / 2009 | उच्च शिक्षा विभाग | सहायक प्राध्यापक— रसायनशास्त्र | 104 | संशोधित चयन सूची जारी दिनांक 18.01.2019 | 53 | 13 | 3 | 13 | 82 | 22/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| 14 | विज्ञापन क्रमांक 06 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 19 / 09 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.09.2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | रीडर, स्वस्थ्यवृत्त | 1 | दिनांक 25.01.2019 | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| | | | रीडर, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान | 1 | | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| | | | रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना | 1 | | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| | | | रीडर, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद | 1 | | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| | | | रीडर, कौमाण्यमूल्य | 1 | | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| | | | रीडर, शालाक्य तंत्र | 1 | | 1 | NIL | NIL | NIL | 1 | 02/02/2019 |
| 15 | विज्ञापन क्र. 14 / 2017 / परीक्षा दिनांक 25 / 11 / 2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 29.11.2017 | सामान्य प्रशासन विभाग | राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष | 36 | दिनांक 09.01.2019 | 15 | 4 | 11 | 6 | 36 | 11/02/2019 |
| | | गृह (पुलिस) विभाग | राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक | 34 | | 14 | 3 | 12 | 5 | 34 | 11/02/2019 |
| | | वित्त एवं योजना विभाग | छ.ग. राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी | 12 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11/02/2019 |
| | | वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | जिला पंजीयक | 1 | | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 18/02/2019 |
| | | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | सहायक संचालक, खाद्य / खाद्य अधिकारी | 1 | | NIL | NIL | 1 | NIL | 1 | 13/02/2019 |
| | | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सहायक संचालक | 2 | | 1 | 1 | NIL | NIL | 2 | 15/02/2019 |
| | | वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग | जिला आबकारी अधिकारी | 2 | | 1 | NIL | NIL | 1 | 2 | 15/02/2019 |
| | | समाज कल्याण विभाग | सहायक संचालक | 2 | | NIL | 1 | 1 | NIL | 2 | 15/02/2019 |
| | | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | सहायक परियोजना अधिकारी | 12 | | 4 | NIL | 6 | 2 | 12 | 15/02/2019 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| | | वित्त एवं योजना विभाग | छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी | 38 | | 14 | 5 | 12 | 5 | 36 | 15/02/2019 |
| | | महिला एवं बाल विकास विभाग | बाल विकास परियोजना अधिकारी | 6 | | 2 | 1 | 3 | NIL | 6 | 15/02/2019 |
| | | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | सहायक अधीक्षक, भू—अभिलेख | 14 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15/02/2019 |
| | | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | नायब तहसीलदार | 51 | | 20 | 6 | 15 | 7 | 48 | 15/02/2019 |
| | | वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग | आबकारी उप निरीक्षक | 22 | | 9 | 2 | 7 | 3 | 21 | 15/02/2019 |
| | | वाणिज्यिक कर विभाग | वाणिज्यिक कर निरीक्षक | 26 | | 10 | 3 | 9 | 3 | 25 | 15/02/2019 |
| | | वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | उप पंजीयक | 7 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15/02/2019 |
| | | सहकारिता विभाग | सहकारी निरीक्षक/स हकारिता विस्तार अधिकारी | 26 | | 10 | 3 | 8 | 4 | 25 | 15/02/2019 |
| | | गृह (जेल) विभाग | सहायक जेल अधीक्षक | 7 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15/02/2019 |
| 16 | विज्ञापन क्रमांक 13 / 2017 / परीक्षा / दिनांक 27.10.2017 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 01 / 11 / 2017 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | सहायक अभियंता (सिविल) | 20 | दिनांक 13.02.2019 | 7 | 3 | 8 | 2 | 20 | 25/02/2019 |
| | | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सहायक अभियंता (सिविल) | 4 | | 2 | NIL | 1 | 1 | 4 | 25/02/2019 |
| | | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सहायक अभियंता (मेकेनिकल) | 1 | | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 25/02/2019 |
| | | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | सहायक अभियंता (विद्युत) | 1 | | NIL | NIL | NIL | 1 | 1 | 25/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 17 | विज्ञापन क्रमांक 03 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 23.03.2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 28 / 03 / 2018 | गृह (पुलिस) विभाग | वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) | 9 | दिनांक 20.02.2019 | 1 | NIL | NIL | 1 | 2 | 25/02/2019 |
| | | | वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) | 12 | | 2 | 1 | NIL | NIL | 3 | 25/02/2019 |
| | | | वैज्ञानिक अधिकारी (जीव) | 10 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 25/02/2019 |
| 18 | विज्ञापन क्रमांक 05 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 19 / 07 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 25 / 07 / 2018 | गृह (पुलिस) विभाग | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | 3 | दिनांक 27.02.2019 | 1 | NIL | 1 | 1 | 3 | 06/03/2019 |
| 19 | विज्ञापन क्रमांक 04 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 12 / 04 / 2018 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 18 / 04 / 2018 | खनिज साधन विभाग | सहायक भौमिकीविद् | 9 | दिनांक 07.03.2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11/03/2019 |
| योग | | | | 1524 | | 509 | 134 | 223 | 154 | 1020 | |

परिशिष्ट - चार
सूचना-प्रौद्योगिकी

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए

- **ऑनलाइन आवेदनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण-** इस अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी शीर्ष से परिशिष्ट तैयार करने के साथ-साथ निम्न विज्ञापनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण किया गया—
 1. सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक –2018
 2. उप अधीक्षक पुलिस (रेडियो)–2018
 3. रीडर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)–2018
 4. राज्य सेवा परीक्षा–2018
 5. सहायक संचालक, जनसम्पर्क–2018
 6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग'–2018
 7. सहायक संचालक (प्लानिंग / सर्वे / रिसर्च)–2018
 8. प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष–2019
 9. सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग)–2019
 10. व्यवहार न्यायाधीश–2019
 11. सहायक संचालक (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)–2019
 12. ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग)–2019
 13. व्याख्याता (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)–2019
- **संवीक्षा अनुभाग को ऑनलाइन आवेदन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराना-** उपरोक्त विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार जानकारी एवं परीक्षा जिलेवार जानकारी संवीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। संवीक्षा अनुभाग इन्ही आंकड़ों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था की तैयारी करता है।
- **प्रवेश पत्रों की डिजाइन एवं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना-** निम्न परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्रों की डिजाइनिंग की गई एवं अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा दिवस के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए—

- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2017 (**22 से 25 जून 2018**)
 - ✓ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**28 जून 2018**)
 - ✓ युवा कल्याण अधिकारी—2018 (**10 जुलाई 2018**)
 - ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**29 जुलाई 2018**)
 - ✓ वैज्ञानिक अधिकारी—2018 (**24 अगस्त 2018**)
 - ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा के प्रथम प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा—2017 (**24 अगस्त 2018**)
 - ✓ उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
 - ✓ सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
 - ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2018 (**17 फरवरी 2019**)
 - ✓ सहायक संचालक, जनसम्पर्क—2018 (**19 मार्च 2019**)
- **ऑनलाइन परीक्षा-**उपरोक्त अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग की देख-रेख में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई—
 - ✓ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**28 जून 2018**)
 - ✓ युवा कल्याण अधिकारी—2018 (**10 जुलाई 2018**)
 - ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**29 जुलाई 2018**)
 - ✓ वैज्ञानिक अधिकारी—2018 (**24 अगस्त 2018**)
 - ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा के प्रथम प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा—2017
 - ✓ उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
 - ✓ सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
 - ✓ सहायक संचालक, जनसम्पर्क—2018 (**19 मार्च 2019**)
 - **मॉडल उत्तर एवं ऑनलाइन आपत्ति-** परीक्षा गोपनीय अनुभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल उत्तर को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध करा कर मॉडल उत्तर के संबंध में आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करने हेतु लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑनलाइन आपत्ति के समय अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा के समय अंकित किए गए रिस्पोन्सेस की ऑनलाइन प्रति प्राप्त कर सकता है। परीक्षाओं के नाम निम्न हैं जिनमें ऑनलाइन आपत्ति का प्रयोग किया गया—
 - ✓ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**28 जून 2018**)
 - ✓ युवा कल्याण अधिकारी—2018 (**10 जुलाई 2018**)

- ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 (**29 जुलाई 2018**)
- ✓ वैज्ञानिक अधिकारी—2018 (**24 अगस्त 2018**)
- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा के प्रथम प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा—2017
- ✓ उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
- ✓ सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक—2018 (**14 नवम्बर 2018**)
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2018 (**17 फरवरी 2019**)
- ✓ सहायक संचालक, जनसम्पर्क—2018 (**19 मार्च 2019**)

- **लिखित परीक्षा परिणाम तैयार करना-** इस अवधि में निम्न लिखित परीक्षाओं के परिणाम अनुबंधित फर्मों के माध्यम से तैयार किए गए, इस हेतु अनुबंधित फर्म को परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निर्देश दिए गए—

- (1). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2017
- (2). छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017

निम्न मुख्य (लिखित) परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चिन्हांकन सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा किया गया—

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2017

उपरोक्त के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निम्न ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन परीक्षा हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रदान मेरिट सूची के आधार पर तैयार किए गए—

1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018 एवं सहायक ग्रेड—(03 बैकलॉग)—2015
2. युवा कल्याण अधिकारी—2018
3. खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु विभिन्न पद हेतु परीक्षा—2018
4. राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2017
5. वैज्ञानिक अधिकारी—2018
6. सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक—2018
7. उप पुलिस अधीक्षक रेडियो

- **राज्य सेवा परीक्षा हेतु ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित करना -** ऑनलाइन अग्रमान्यता में अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के बाद प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावटी को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑनलाइन अग्रमान्यता का प्रयोग राज्य

सेवा परीक्षा—2017 में किया गया।

टीप—राज्य सेवा परीक्षा—2017 के साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन—पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाक के माध्यम से न भेजकर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अग्रमान्यता के सॉफ्टवेयर में अग्रमान्यता सबमिट होने पश्चात समस्त प्रपत्रों को पी.डी.एफ. प्रारूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया।

- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदन हार्ड कॉफी में न होने के कारण साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डाटा के आधार पर मास्टर डाटा पेज तैयार कर चयन अनुभाग को उपलब्ध कराए गए। जिनका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु किया गया। ऐसी परीक्षाएं जिसमें मास्टर डाटा पेज उपलब्ध कराए गए निम्न हैं—

- ✓ रजिस्ट्रार (उच्च शिक्षा विभाग)—2017
- ✓ विधि अधिकारी (गृह (जेल) विभाग)—2017
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)—2017
- ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक—2017
- ✓ छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2017
- ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विभिन्न पद—2018
- ✓ ग्रंथपाल—2018 (छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु)
- ✓ स्टोर कीपर—2018 (छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु)
- ✓ राज्य सेवा परीक्षा—2017
- ✓ रीडर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)—2018
- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा—2017
- ✓ वैज्ञानिक अधिकारी—2018
- ✓ उप पुलिस अधीक्षक (रिडियो)—2018
- ✓ सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक—2018

इसके आलावा उपरोक्त परीक्षाओं में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की लॉटरी के आधार पर उपस्थिति पत्रक एवं साक्षात्कार—अंक सूची का फारमेट सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा तैयार किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- **साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार करना-**उपरोक्त अवधि में निम्न परीक्षाओं हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार किए गए—
 - ✓ रजिस्ट्रार (उच्च शिक्षा विभाग)–2017
 - ✓ विधि अधिकारी (गृह (जैल) विभाग)–2017
 - ✓ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)–2017
 - ✓ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक–2017
 - ✓ सहायक प्राध्यापक–2014 (10 विषयों की संशोधित चयन सूची)
 - ✓ सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)–2009 (संशोधित चयन सूची)
 - ✓ छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा–2017
 - ✓ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विभिन्न पद–2018
 - ✓ मार्डन आफिस मेनेजमेंट–2013 (संशोधित चयन सूचना)
 - ✓ सहायक प्राध्यापक (भूगोल एवं अंग्रेजी)–2009 (संशोधित चयन सूची)
 - ✓ ग्रंथपाल–2018 (छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु)
 - ✓ स्टोर कीपर–2018 (छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु)
 - ✓ सहायक प्राध्यापक (रसायन)–2009 (संशोधित चयन सूची)
 - ✓ राज्य सेवा परीक्षा–2017
 - ✓ रीडर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)–2018
 - ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2017
 - ✓ वैज्ञानिक अधिकारी–2018
 - ✓ उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)–2018
 - ✓ सहायक भौमिक विद् एवं खनि निरीक्षक–2018

परिशिष्ट - पांच

विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक

| सं. क्र. | विभाग का नाम | विषय | अभिमत/सहमति देने का दिनांक |
|-------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | खाद्य नागरिक आपूर्ति (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्। | क्रमांक 414 / 160 / 2013 / जीएस दिनांक 26.05.2018 |
| 02 | आवास एवं पर्यावरण विभाग | छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 में संशोधन बाबत्। | क्र. 472 / 25 / 2018 / जीएस दिनांक 01.06.2018 |
| 03 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | छ.ग. ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 में संशोधन बाबत्। | 874 / 17 / 2012 / जीएस दिनांक 23.07.2018 |
| 04 | जनसंपर्क विभाग | जनसंपर्क विभाग के विभागीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2012 में संशोधन बाबत्। (असहमति) | क्रमांक 547 / 52 / 2011 / जीएस दिनांक 08.06.2018 |
| 05 | गृह जेल विभाग | छ.ग. जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 में संशोधन। | क्रमांक 1073 / 164 / 2017 / जीएस दिनांक 20.08.2018 |
| 06 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | शासकीय मुद्रणालय में सहायक संचालक के पदों पर भर्ती नियम में संशोधन बाबत्। | क्रमांक 1213 / 62 / 18 दिनांक 11.09.2018 |
| 07 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | प्रोग्रामर पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में प्रावधान करने हेतु सहमति बाबत्। | क्रमांक 1277 / 24 / 2018 / जीएस दिनांक 25.09.2018 |
| 08 | जल संसाधन विभाग | छ.ग. जल संसाधन विभाग अभियांत्रिकी की तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 में संशोधन | क्रमांक 1256 / 02 / 2008 / जीएस दिनांक 22.09.2018 |
| 09 | वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग | छ.ग. आबकारी सेवा श्रेणी 1 तथा 2 भर्ती नियम अद्यतन/संशोधन किये जाने के संबंध में। | क्रमांक 1633 / 100 / 2018 / जीएस दिनांक 01.11.2018 |
| 10 | पशुधन विकास विभाग | छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पदों के लिये केवल छ.ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद से पजीकृत पशु चिकित्सक अभ्यर्थी को ही योग्य मानने बाबत्। | क्रमांक 1727 / 112 / 2010 / जीएस दिनांक 22.11.2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 11 | चिकित्सा शिक्षा विभाग | छ.ग. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची—चार में संशोधन करने बाबत्। | क्रमांक 1744 / 156 / 2012 / जीएस दिनांक 26.11.2018 |
| 12 | सहकारिता विभाग | छ.ग. सहकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 में आवश्यक प्रावधान करने बाबत्। | क्रमांक 1774 / 173 / 2013 / जीएस दिनांक 29.11.2018 |
| 13 | लोक निर्माण विभाग | छ.ग. लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 में संशोधन बाबत्। | क्रमांक 2060 / 177 / 2018 / जीएस दिनांक 08.01.2019 |
| 14 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | छ.ग. भू—अभिलेख (राजपत्रित) सेवा भरती नियम में संशोधन बाबत्। | क्रमांक 2249 / 13 / 2018 / जीएस दिनांक 01.02.2019 |
| 15 | संस्कृति विभाग | मंत्रिपरिषद निर्णय दिनांक 03.06.2014 विभागों के सेवा भर्ती नियमों को अद्यतन कर अधिसूचित किया जाना। | क्रमांक 1386 / 123 / 2018 / जीएस दिनांक 04.10.2018 |
| 16 | स्कूल शिक्षा विभाग | छ.ग. स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक) संवर्ग भर्ती नियम 2018 को सहमति प्रदान करने बाबत्। | क्रमांक 1409 / 131 / 2018 / जीएस दिनांक 05.10.2018 |
| 17 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | छ.ग. नगर पालिका (कार्यपालक / यांत्रिकी / स्वारूप्य) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2017 बनाये जाने बाबत्। | क्रमांक 1677 / 144 / 2018 / जीएस दिनांक 12.11.2018 |
| 18 | उच्च शिक्षा विभाग | छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 में संशोधन बाबत्। | क्रमांक 2070 / 185 / 2018 / जीएस दिनांक 09 / 01 / 2019 |

परिशिष्ट - छ:

विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण

(दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

| स.क्र. | विभागवार पद का नाम | विचारक्षेत्र में लिये गये अधिकारियों की संख्या | अनुशंसित अधिकारियों की संख्या |
|--|---|--|-------------------------------|
| योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | | | |
| 1 | सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पर रिव्यू डीपीसी। | 6 | 6 |
| 2 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पर पुनरीक्षित बैठक। | 23 | 11 |
| खनिज साधन विभाग | | | |
| 1 | सहायक रसायनज्ञ से रसायनज्ञ के पद पद पदोन्नति। | 3 | 1 |
| 2 | टोपो सर्वेयर से सर्वे अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 3 | सहायक भौमिकीविद् से उप संचालक भौमिकी विद् के पद पर पदोन्नति। | 8 | 5 |
| खेल एवं युवा कल्याण विभाग | | | |
| 1 | खेल अधिकारी / वरिष्ठ खेल अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति। | 7 | 7 |
| 2 | क्षेत्रीय खेल अधिकारी से उप संचालक के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नति का नियमितीकरण। | 1 | 1 |
| 3 | उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| ऊर्जा विभाग | | | |
| 1 | सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 2 | मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |

| कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग | | | |
|--|---|-----|----|
| 1 | सहायक संचालक उद्यान से उप संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति। | 7 | 2 |
| 2 | वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति। | 39 | 8 |
| 3 | संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी से अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी के पद पर पदोन्नति। | 3 | 1 |
| 4 | सहायक संचालक कृषि से उप संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति। | 44 | 13 |
| 5 | कृषि अभियंता से संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी के पद पर पदोन्नति। | 5 | 1 |
| 6 | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सहायक संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति। | 122 | 45 |
| 7 | संयुक्त संचालक उद्यान से अपर संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति। | 2 | 1 |
| 8 | उप संचालक उद्यान से संयुक्त संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति। | 2 | 1 |
| 9 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सहायक संचालक कृषि (सांख्यिकी) के पद पर पदोन्नति | 10 | 2 |
| कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | | | |
| 1 | रोजगार अधिकारी/सहायक संचालक/शोध अधिकारी से उप संचालक के पद पर पदोन्नति। | 17 | 4 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग | | | |
| 1 | सहायक संचालक संवर्ग से उप संचालक संवर्ग के पद पर पदोन्नति। | 12 | 3 |
| 2 | सहायक संचालक संवर्ग से उप संचालक संवर्ग के पद पर रिव्यु डीपीसी। | 24 | 20 |
| 3 | पर्यवेक्षक से परियोजना अधिकारी संवर्ग के पद पर पदोन्नति। | 67 | 29 |

वित्त विभाग

| | | | |
|----------|---|----|-----------|
| 1 | ज्येष्ठ संपरीक्षक से सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदोन्नति। | 30 | 15 |
|----------|---|----|-----------|

चिकित्सा शिक्षा विभाग

| | | | |
|----------|--|---|----------|
| 1 | सहायक प्राध्यापक एनाटामी से सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति बाबत्। | 1 | 1 |
| 2 | सहायक प्राध्यापक कम्युनिटी मेडिसीन से सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

| | | | |
|----------|---|-----|------------|
| 1 | उपायुक्त (विकास) से संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति। | 32 | 14 |
| 2 | उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति। | 2 | 1 |
| 3 | मानविकार से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 4 | 4 |
| 4 | अवमानना प्रकरण क्रमांक 740 / 2017 श्री अनिरुद्ध लाल वर्मा, विरुद्ध श्री पी. सी. मिश्रा एवं अन्य में सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की संपन्न बैठक दिनांक 19.03.2018 की पुनरीक्षित बैठक। | 66 | 41 |
| 5 | सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 6 | सहायक अभियंता (विद्युत) से कार्यपालन अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 7 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 14 | 10 |
| 8 | उपअभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति | 241 | 119 |

| पशुधन विकास विभाग | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|
| 1 | B.V.Sc.&A.H. स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित संवर्ग पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदोन्नति। | 4 | 4 |
| 2 | उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें से संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति। | 8 | 2 |
| श्रम विभाग | | | |
| 1 | श्रम पदाधिकारी से सहायक श्रमायुक्त के पद पर रिव्यु डीपीसी। | 3 | 2 |
| स्कूल शिक्षा विभाग | | | |
| 1 | प्राचार्य से उप संचालक के पद पर पदोन्नति। | 32 | 18 |
| 2 | उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति। | 3 | 2 |
| 3 | उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति। | 32 | 14 |
| 4 | व्याख्याता (ई) संवर्ग से प्राचार्य (ई) संवर्ग के पद पर पदोन्नति। | 605 | 381 |
| समाज कल्याण विभाग | | | |
| 1 | तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) पदों से अधीक्षक / सहायक संचालक संवर्ग (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति। | 108 | 24 |
| सहकारिता विभाग | | | |
| 1 | संयुक्त पंजीयक से अपर पंजीयक के पद पर पदोन्नति। | 7 | 2 |
| 2 | वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक से अंकेक्षण अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 35 | 25 |
| 3 | अंकेक्षण अधिकारी से सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पद पर पदोन्नति। | 17 | 9 |
| सामान्य प्रशासन विभाग | | | |
| 1 | तहसीलदार / अधीक्षक भू-अभिलेख से राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति। | 51 | 40 |

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 | प्रोफेसर विभिन्न विषय से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति। | 5 | 2 |
| 2 | जिला आयुर्वेद अधिकारी से उप संचालक (आयुर्वेद / फार्मसी) के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 3 | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक / सहायक संचालक फार्मसी से जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 40 | 14 |
| 4 | रीडर द्रव्यगुण से प्रोफेसर द्रव्यगुण के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 5 | व्याख्याता द्रव्यगुण से रीडर द्रव्यगुण के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 6 | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक से विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 15 | 3 |
| 7 | चिकित्सा अधिकारी पद से क्षयरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 6 | 1 |
| 8 | चिकित्सा अधिकारी से पैथोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 28 | 20 |
| 9 | चिकित्सा अधिकारी से मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 3 | 3 |
| 10 | चिकित्सा अधिकारी से सर्जरी विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 22 | 21 |
| 11 | चिकित्सा अधिकारी पद से नाक, कान, गला (ई.एन.टी.) रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 39 | 22 |
| 12 | चिकित्सा अधिकारी पद से शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नति। | 32 | 32 |

उच्च शिक्षा विभाग

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| 1 | शासनाधीन किये गये शासकीय एस .एन.जी. शासकीय महाविद्यालय मुँगेली एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य कला महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर के शैक्षिक स्टॉफ के आमेलन / संविलियन हेतु। | 44 | 34 |
|----------|--|-----------|-----------|

छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग

| | | | |
|----------|--|----------|----------|
| 1 | निज सचिव से स्टॉफ आफिसर के पद पर पदोन्नति। | 2 | 1 |
|----------|--|----------|----------|

वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग

| | | | |
|----------|---|-----------|----------|
| 1 | सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक के पद पर पुनरीक्षित बैठक। | 36 | 1 |
|----------|---|-----------|----------|

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | |
|---|--|----|----------|
| 2 | सहायक संचालक/प्रबंधक से उप संचालक/ महाप्रबंधक के पद पर पुनरीक्षित बैठक। | 14 | 1 |
| 3 | उप संचालक/ महाप्रबंधक से संयुक्त संचालक/ मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति। | 8 | 2 |
| 4 | संयुक्त संचालक/ मुख्य महाप्रबंधक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति। | 5 | 1 |
| 5 | सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक/प्रबंधक के पद पर पदोन्नति। | 12 | 9 |
| 6 | सहायक संचालक/प्रबंधक से उप संचालक/ महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति। | 22 | 6 |
| 7 | निरीक्षक से सहायक पंजीयक के पद पर पदोन्नति। | 3 | 2 |
| 8 | सहायक पंजीयक से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति। | 3 | 1 |

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| 1 | जिला आबकारी अधिकारी से सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति। | 14 | 3 |
| 2 | आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 60 | 19 |
| 3 | सहायक जिला आबकारी अधिकारी से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 46 | 8 |

वाणिज्यिक कर विभाग

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| 1 | अपर आयुक्त (ग्रेड वेतन 8700/-) से अपर आयुक्त (ग्रेड वेतन 8900/-) के पद पर पदोन्नति। | 2 | 1 |
| 2 | सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 15 | 10 |

वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग

| | | | |
|---|---|----|----------|
| 1 | उप पंजीयक से जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति। | 25 | 4 |
|---|---|----|----------|

वन विभाग

| | | | |
|---|--|-----|-----------|
| 1 | वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित बैठक। | 1 | 1 |
| 2 | उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति। | 112 | 94 |
| 3 | वनक्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति। | 37 | 12 |

| जनसंपर्क विभाग | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1 | सहायक जनसंपर्क अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति। | 7 | 5 |
| जल संसाधन विभाग | | | |
| 1 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 56 | 15 |
| 2 | डिप्लोमाधारी उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 368 | 64 |
| 3 | उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के 505 सांख्येत्तर पद पर पदोन्नति। | 1030 | 505 |
| 4 | डिप्लोमाधारी उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 10 | 2 |
| 5 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 16 | 6 |
| 6 | निशक्तजन—डिप्लोमाधारी उप अभियंता (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति। | 98 | 9 |
| 7 | सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर रिव्यु डीपीसी। | 87 | 34 |
| 8 | सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति। | 46 | 31 |
| नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | | | |
| 1 | सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति। | 4 | 4 |
| 2 | उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति। | 57 | 18 |
| 3 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी “क” वर्ग से मुख्य नगर पालिका अधिकारी “कक” के पद पर पदोन्नति। | 2 | 2 |
| 4 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी “ग” वर्ग से मुख्य नगर पालिका अधिकारी “ख” के पद पर पदोन्नति। | 9 | 8 |
| 5 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी “ग” श्रेणी के पद पर पदोन्नति। | 45 | 5 |
| 6 | मुख्य नगर पालिका अधिकारी “ख” वर्ग एवं राजस्व अधिकारी से मुख्य नगर पालिका अधिकारी “क” के पद पर पदोन्नति। | 4 | 4 |

| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | | | |
|---|---|-----|-----------|
| 1 | मंडल संयोजक से क्षेत्र संयोजक के पद पर पदोन्नति। | 39 | 34 |
| 2 | सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक नियोजन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी एवं समकक्ष पद से अनुसंधान अधिकारी/सहायक आयुक्त (योजना) के पद पर पदोन्नति। | 6 | 5 |
| आवास एवं पर्यावरण विभाग | | | |
| 1 | अधीक्षक से सहायक संचालक स्थापना के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 2 | उप अभियंता से सहायक संचालक (सर्वे) के पद पर पदोन्नति। | 4 | 3 |
| गृह विभाग | | | |
| 1 | कंपनी कमांडर से सहायक सेनानी एवं निरीक्षक विशेष शाखा संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति। | 29 | 17 |
| 2 | तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्ग) से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति। | 13 | 13 |
| 3 | उप संचालक अभियोजन से संयुक्त संचालक अभियोजन के पद पर पदोन्नति। | 8 | 5 |
| ग्रामोद्योग विभाग | | | |
| 1 | वरिष्ठ निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) के पद से सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति। | 7 | 7 |
| 2 | सहायक संचालक हाथकरघा से उप संचालक हाथकरघा के पद पर पदोन्नति। | 5 | 4 |
| 3 | संयुक्त संचालक हाथकरघा से अपर संचालक हाथकरघा के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 4 | उप संचालक हाथकरघा से संयुक्त संचालक हाथकरघा के पद पर पदोन्नति। | 3 | 1 |
| लोक निर्माण विभाग | | | |
| 1 | उप अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 146 | 9 |
| 2 | उप अभियंता (वि./यां)/मानचित्रकार से सहायक अभियंता (वि./या.) के पद पर पदोन्नति। | 28 | 12 |

| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | | | |
|-------------------------------|---|----|-----------|
| 1 | कार्यपालन अभियंता (वि./ यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि./ यां.) के पद पर पदोन्नति। | 4 | 1 |
| 2 | सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 29 | 6 |
| 3 | सहायक अभियंता एमआईएस से कार्यपालन अभियंता एमआईएस के पद पर पदोन्नति। | 1 | 1 |
| 4 | अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 7 | 1 |
| 5 | उप अभियंता (सिविल) एवं मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 87 | 43 |
| 6 | उप अभियंता (वि./ यां.) एवं मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार से सहायक अभियंता (वि./ यां.) के पद पर पदोन्नति। | 25 | 7 |
| 7 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति। | 5 | 1 |

परिशिष्ट - सात

विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

| सं. क्र. | नस्ती क्रमांक | आयोग में प्राप्ति दिनांक | विभाग का नाम | विषय | प्रस्तावित दण्ड जिसमें आयोग की सहमति/असहमति/परामर्श दिया गया है। | आयोग का अभिमत दिनांक |
|-------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 100/2017/GS | 12/10/2017 | स्कूल शिक्षा विभाग | श्रीमती रितु सुरंगे, प्राचार्य शास.उ.मा.वि. मोवा का निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्रीमती रितु सुरंगे, प्राचार्य शास.उ.मा.वि., मोवा रायपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 03/04/2018 |
| 02 | 186/2017/GS | 15/03/2018 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | श्री डी. पी. नायक, सेवानिवृत्त प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग की विभागीय जांच के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री डी. पी. नायक, प्राचार्य (सेवानिवृत्त) शासकीय पॉली. दुर्ग एवं तत्का. प्राचार्य शासकीय कन्या पॉली. राजनांदगांव द्वारा शासकीय नियमों के विपरीत अपात्र कर्मचारियों को नियमित कर आर्थिक लाभ पहुंचाने, आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध क्रमोन्नति /पद-परिवर्तन/पदोन्नति प्रदान कर आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं अधीनस्थ सहायक ग्रेड-3 को अनाधिकृत रूप से लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के उपरांत भी नियमानुसार कार्यवाही न कर सेवा में पुनः रखे जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (पेशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत पेशन से 10 प्रतिशत पेशन कठौती आजीवन किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 05/04/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-------------------|---|--|------------|
| 03 | 190/2017/GS | 21/03/2018 | जल संसाधन विभाग | श्री पी.के.डाहिरे, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति / अभिमत बाबत। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री पी.के.डाहिरे, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1, 2, 3 का उल्लंघन करते हुए शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने एवं अनुशासनहीनता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम- 10(1) के तहत “परिनिर्दा की शास्ति” अधिरोपित कर संस्थित विभागीय जांच समाप्त किये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 13/04/2018 |
| 04 | 182/2017/GS | 07/03/2018 | उच्च शिक्षा विभाग | विभागीय जांच – डॉ. अशोक कुमार मेहर, पदोन्नत प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी डॉ. अशोक कुमार मेहर, पदोन्नत प्राध्यापक, अर्धशास्त्र, शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति में रहने एवं अनुशासनहीनता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 18/04/2018 |
| 05 | 188/2017/GS | 13/03/2018 | उच्च शिक्षा विभाग | विभागीय जांच – श्रीमती वर्षाराम, सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय धरसींवा, जिला – रायपुर। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्रीमती वर्षाराम, सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय धरसींवा, जिला–रायपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 18/04/2018 |
| 06 | 183/2017/GS | 06/03/2018 | जल संसाधन विभाग | श्री बी.आर.चंद्राकर सहायक अभियंता के विरुद्ध लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग का अभिमत / सहमति प्राप्त करने बाबत। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री बी.आर.चंद्राकर, सहायक अभियंता द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत उनकी “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 18/04/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------------|---|---|------------|
| 07 | 02/2018/GS | 28/03/2018 | वित्त विभाग | श्री भूपेंद्र कुमार धुरंधर, तत्कालीन जिला कोषालय अधिकारी, धमतरी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने विषयक। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री भूपेंद्र कुमार धुरंधर तत्कालीन कोषालय अधिकारी धमतरी के द्वारा कार्यालयीन समय में प्रतिदिन मद्य का सेवन किये जाने एवं अत्यधिक मद्यपान के कारण कार्य करने में असमर्थ रहते थे। दिनांक 04.07.2017 को अत्यधिक मद्यपान कर कार्यालय में उपस्थित हुये तथा अशोभनीय व्यवहार के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हुआ एवं बिल का आहरण समय पर नहीं होने के कारण उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 19/04/2018 |
| 08 | 36/2018/GS | 20/04/2018 | वन विभाग | श्री एल. एकका, (से.नि.) सहायक वन संरक्षक, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी धरमजयगढ़ के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एल. एकका से.नि. सहायक वन संरक्षक द्वारा मासिक लेखा प्रमाणक की राशि रु. 2,00,311/- कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने एवं तेन्दूपत्ता गोदाम के निर्माण में राशि रु. 2,72,677/- लागत की सामग्री कम पाये जाने के कारण शासन को हुई हानि की राशि रु. 4,72,988/- की वसूली किये जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 02/06/2018 |
| 09 | 189/2017/GS | 22/03/2018 | जल संसाधन विभाग | श्री आर.एस.नेताम, तत्का. कार्यपालन अभियंता (वि./यां.), श्री बी.एल. खोब्रागढ़े, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) एवं श्री आई.डी.जैन, से.नि., कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति/अभिमत बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में की गई अनियमितता एवं किये गये लापरवाही के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “श्री आर.एस.नेताम, तत्का. कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से”, “श्री बी.एल. खोब्रागढ़े, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (सिविल) की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से” एवं छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम –9 के तहत “श्री आई.डी.जैन, से.नि., कार्यपालन अभियंता के पेंशन की 5 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिए रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 09/05/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|---|--|------------|
| 10 | 22/2018/GS | 24/04/2018 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध श्री आर.एस.टंडन, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला महासमुंद द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत 01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये अनन्तिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 10/05/2018 | |
| 11 | 23/2018/GS | 09/04/2018 | जल संसाधन विभाग | सर्वश्री पी.के.वर्मा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, व्ही.के. ताम्रकार, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, पी.के.लाल एवं एन.के. चौहान, उपअभियंताद्वय के विरुद्ध परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति / अभिमत बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारियों – सर्वश्री पी.के.वर्मा, तत्का. कार्यपालन अभियंता, व्ही.के.ताम्रकार, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, पी.के.लाल एवं एन.के.चौहान, उपअभियंताद्वय द्वारा शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(1) के तहत परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/05/2018 |
| 12 | 174/2017/GS | 23/01/2018 | जल संसाधन विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध श्री एम.एस.छाबड़ा, श्री आर.के.काशिव, श्री के. एस.मिश्रा एवं अन्य में पारित निर्णय पर आयोग की अभिमत / सहमति बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी सर्वश्री एम.एस.छाबड़ा, आर.के.काशिव, के.एस. मिश्रा, के.के.बघेल, तत्का. अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अपने कायों में किए गए लापरवाही एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 07/05/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|------------|------------|---|--|--|------------|
| 13 | 26/2018/GS | 11/04/2018 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध श्री एम.एस.नागेश, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एम.एस.नागेश, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली, जिला-कोरबा के विरुद्ध अपने कार्यों में बरती गई अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में लिये गये अनंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 17/05/2018 |
| 14 | 29/2018/GS | 17/04/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | निर्माण कार्यों में की गई अनियमितता में कार्यवाही करने के संबंध में – श्री यू.के.तिर्की, तत्का. कार्यपालन अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियांवयन इकाई बालोद, जिला बालोद, वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियांवयन इकाई क्रमांक-1 छग्रासविअ जांजगीर चांपा द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के भाग 1, 2, 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री यू.के.तिर्की, तत्का. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियांवयन इकाई बालोद, जिला बालोद, वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियांवयन इकाई क्रमांक-1 छग्रासविअ जांजगीर चांपा द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के भाग 1, 2, 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/05/2018 |
| 15 | 44/2018/GS | 24/05/2018 | जल संसाधन विभाग | कर्मसौहा जलाशय योजना के पडल कट ऑफ ट्रेन्च की खुदाई एवं भराई कार्य में अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही। (श्री राजेश धवनकर एवं अन्य) | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी सर्वश्री राजेश धवनकर, तत्का. कार्यपालन अभियंता एवं एस.सी.गुप्ता, तत्का. उपअभियंता के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत दो-दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं एस.के.गुप्ता, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (से.नि.) के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 निहित प्रावधानान्तर्गत 5 प्रतिशत पेंशन दो वर्ष की अवधि हेतु रोके जाने की शास्ति अधिरोपित कर, प्रकरण समाप्त किये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 12/06/2018 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|---|--|--|------------|
| 16 | 07/2017/GS | 05/04/2017 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध श्री जे.एल.धनगुन, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर एवं (01 अन्य प्रकरण) जनपद पंचायत दुर्गकोंदल, जिला—कांकेर से संबंधित प्रकरण के संबंध में। | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री जे.एल.धनगुन तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सेवानिवृत्त) से रूपये 22.68 लाख की राशि की वसूली तो की ही जाए साथ ही पेशन नियम के तहत उसके पेशन राशि में कमी किए जाने का प्रस्ताव इस प्रकल्पना के साथ रखा जाये कि सेवा में रहने की स्थिति में जब उसे वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम में लाये जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता तथा इसके फलस्वरूप तत्समय जो मूल वेतन होता और उस आधार पर पेशन नियत होता, के बराबर हो परंतु यह कमी वर्तमान में नियत पेशन की एक तिहाई राशि की कटौती से अधिक न हो” हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 14/06/2018 |
| 17 | 08/2017/GS | 05/04/2017 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | | | 14/06/2018 |
| 18 | 51/2018/GS | 06/06/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत्— श्री बाबूलाल कोलाम, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पुसौर, जिला— रायगढ़। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री बाबूलाल कोलाम, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग पुसौर, जिला रायगढ़ छ.ग. के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम—1965 के नियम—3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/06/2018 |
| 19 | 49/2018/GS | 02/06/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांकेर में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियुक्त आदेश जारी करने बाबत। (विरुद्ध श्री डॉ.आर.साहू तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांकेर के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम—1965 के नियम—3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | | 21/06/218 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 20 | 53/2018/GS | 13/06/2018 | उच्च शिक्षा विभाग | शासकीय नवीन महाविद्यालय बोडला के प्राचार्य श्री आर.के.पाठक के विरुद्ध दुर्व्यवहार की जांच बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आर.के.पाठक, सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला—कबीरधाम छ.ग. के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम—1965 के नियम—3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 23/06/2018 |
| 21 | 48/2018/GS | 02/06/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध— जे. एस.राजपूत, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया, जिला राजनांदगांव वर्तमान में— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन, जिला—दुर्ग। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री जे. एस.राजपूत, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया, जिला राजनांदगांव वर्तमान में— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन, जिला—दुर्ग छ.ग. के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/06/2018 |
| 22 | 46/2018/GS | 31/05/2018 | स्कूल शिक्षा विभाग | श्री आनंद प्रकाश एकका, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, सुरजपुर की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आनंद प्रकाश एकका, जिला शिक्षा अधिकारी, सुरजपुर के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/06/2018 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 23 | 38/2018/GS | 25/04/2018 | वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग | श्री रामकुमार नेताम, निलंबित उप पंजीयक के अपराध क्रमांक 21/2006 के संबंध में दण्डित किए जाने “सेवा से पदच्युत” करने हेतु सहमति बाबत। | आयोग द्वारा प्रकरण पर समग्र रूप से परीक्षण उपरांत श्री रामकुमार नेताम, तत्कालीन उप पंजीयक दुर्ग के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/2006 का चालान माननीय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त अपराधिक प्रकरण में माननीय दाण्डिक न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी) सहपाठित धारा 13(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 120-बी में दोष सिद्ध पाते हुये 2-2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.1999 के अनुसार अपचारी अधिकारी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 06/06/2018 |
| 24 | 95/2015/GS | 30/06/2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | डॉ. एस. एल. आदिले, तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के विरुद्ध 03 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक जाने की शास्ति (दीर्घ शास्ति) को कम करते हुये 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने (लघु शास्ति) के संबंध में छ.ग. लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने बाबत। | प्रकरण में समग्र विचारोपरांत अपचारी अधिकारी डॉ. एस. एल. आदिले की 03 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति (दीर्घ शास्ति) को कम करते हुये उनकी 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी शास्ति (लघु शास्ति) अधिरोपित करने बाबत प्रशासकीय विभाग द्वारा लिये गये निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 10/07/2018 |
| 25 | 59/2018/GS | 06/06/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध— श्री जे.एस.राजपूत, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव, वर्तमान में— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन, जिला—दुर्ग छ.ग. के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री जे.एस.राजपूत, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव, वर्तमान में— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन, जिला—दुर्ग छ.ग. के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 12/07/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------------------------------|---|--|------------|
| 26 | 57/2018/GS | 21/06/2018 | पशुधन विकास विभाग | शिकायत विरुद्ध श्रीमती लक्ष्मी अजगले, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, बस्तर द्वारा ग्राम सुराज अभियान अवधि में नदारत रहने के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी डॉ. श्रीमती लक्ष्मी अजगले का उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति का नहीं है और ना ही इससे शासन को कोई आर्थिक हानि हुई है। अतः अपचारी अधिकारी को 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से (दीर्घ शास्ति) दंडित किये जाने के स्थान पर 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (लघु शास्ति) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने पर आयोग की सहमति दी गई। | 19/07/2018 |
| 27 | 61/2018/GS | 03/07/2018 | श्रम विभाग | विभागीय जांच—डॉ. एस. बी. साव, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, रायपुर के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 16 के उल्लंघन (उल्लंघन की परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए) किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी डॉ. एस.बी.साव, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, रायपुर के द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 16 के उल्लंघन (उल्लंघन की परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए) किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम—10 (4) के तहत “आगामी 01—01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 23/07/2018 |
| 28 | 63/2018/GS | 07/07/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत सी. सी.सड़क निर्माण पावड़ा विकासखंड फरसगांव के जांच में पारी गई अनियमितता के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री पी.के.मेशाम, तत्का. कार्यपालन अभियंता तथा श्री आर. एस.नेताम, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपने कार्यों में वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम—10 (4) के तहत “आगामी 01—01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये अंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 23/07/2018 |
| 29 | 69/2018/GS | 18/07/2018 | महिला एवं बाल विकास विभाग | अपराध क्रमांक—41/2011 (वि.प्र.क्र. —183/2014) धारा—7, 13(1) डी, 13 (2) पी. एस. एकट 1988 विरुद्ध श्रीमती सुशीला उर्फ सुनीता बाखला, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अभनपुर, जिला — रायपुर (छ.ग.) एवं श्री विरेंद्र उर्फ सतीश वर्मा, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्रीमती सुशीला उर्फ सुनीता बाखला, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अभनपुर जिला रायपुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषसिद्ध कर दंडित किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत “सेवा से पदच्युत” करने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 28/07/2018 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-------------------|---|--|------------|
| 30 | 70/2018/GS | 19/07/2018 | सहकारिता विभाग | विभागीय जांच के आधार पर श्री एम. सी. नेताम सेवानिवृत्त सहायक पंजीयक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत। | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एम. सी. नेताम, सेवानिवृत्त सहायक पंजीयक, तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा पी.डी.एस. के अंतर्गत उपभोक्ता सामग्री वितरण परिवहन प्रकरण में किये गये शासकीय अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 तहत क्षति की राशि रूपये 15,96,889/- की वसूली उनके पेंशन की राशि में से 20 प्रतिशत की राशि प्रतिमाह क्षतिपूर्ति होते तक रोके जाने वाले विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/07/2018 |
| 31 | 47/2018/GS | 02/06/2018 | गृह (पुलिस) विभाग | श्री राजेश सिंह श्रीवास्तव, पिता स्व. होशियार सिंह श्रीवास्तव, उम्र 48 वर्ष एच-8 अनुपम नगर रायपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, निवारण अधिनियम के प्रकरण में दोषसिद्ध उपरांत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री राजेश सिंह श्रीवास्तव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 01/08/2018 |
| 32 | 67/2018/GS | 17/07/2018 | श्रम विभाग | डॉ. रीता रानी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, रायपुर केन्द्र द्वारा बीरगांव (रायपुर) औषधालय में अपने कर्तव्य पर दिनांक 25.07.2014 से आज दिनांक तक अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय नियुक्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 की कंडिका 2.2 के तहत एक माह की सूचना देकर इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(8) के तहत इनकी सेवाएं समाप्त किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/07/2018 | |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|--|--|------------|
| 33 | 80/2018/GS | 28/07/2018 | सहकारिता विभाग | विभागीय जांच के आधार पर श्री पी. आर. नाईक सेवानिवृत्त अपर पंजीयक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत्। | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत श्री पी. आर. नाईक सेवानिवृत्त अपर पंजीयक द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के पद पर रहते हुये शासकीय कार्य में किये गये अनियमितता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुये छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत कार्यवाही करते हुये उनके पेंशन की राशि में से 20 प्रतिशत की राशि प्रतिमाह आजीवन रोके जाने वाले विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 06/08/2018 |
| 34 | 76/2018/GS | 19/07/2018 | गृह (पुलिस) विभाग | श्री मुकित तिर्की, सहायक सेनानी 4र्थी वाहिनी छसबल माना रायपुर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री मुकित तिर्की, सहायक सेनानी 4र्थी वाहिनी छसबल माना रायपुर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 04/08/2018 |
| 35 | 74/2018/GS | 24/07/2018 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध—श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अविकापुर द्वारा छ.ग. भंडार नियम एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत कार्य किये जाने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री श्रीकांत दुबे, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अविकापुर द्वारा छ.ग. भंडार नियम एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत कार्य किये जाने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 04/08/2018 |
| 36 | 153/2017/GS | 08/12/2017 | स्कूल शिक्षा विभाग | विशेष प्रकरण क्रमांक 141 / 2015 सेवा समाप्ति करने बाबत् श्री रामगोपाल साहू (छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एण्टी करप्शन ब्यूरो प्रकरण)। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री रामगोपाल साहू तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित "सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने" की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 06/08/2018 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 37 | 78/2018/GS | 26/07/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध— श्री के.के.दुबे, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग, कवर्धा जिला—कबीरधाम। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री के.के.दुबे, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त, सिविल लाइन, रायपुर छ.ग. द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कृत्य किये जाने एवं अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 10/08/2018 |
| 38 | 73/2018/GS | 18/07/2018 | उच्च शिक्षा विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध— श्री अशोक पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र शासकीय नार्गार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के विरुद्ध महिला उत्तीर्णन एवं यौन शोषण निवारण समिति द्वारा घटना को सही पाये जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र शासकीय नार्गार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के विरुद्ध महिला उत्तीर्णन एवं यौन शोषण निवारण समिति द्वारा घटना को सही पाये जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10(4) के तहत 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 10/08/2018 |
| 39 | 77/2018/GS | 25/07/2018 | जल संसाधन विभाग | सर्वश्री यू.एस.राम, तत्का. कार्यपालन अभियंता एवं एस.एल. गुप्ता, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, खड़गांव, जिला—कोरिया, छ.ग. द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (3) अनुसार शासकीय वसूली राशि 5,61,995/- की बराबर—बराबर राशि रूपये 2,80,997/- प्रत्येक से वसूली किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री यू.एस.राम, तत्का. कार्यपालन अभियंता एवं श्री एस.एल. गुप्ता, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, खड़गांव, जिला—कोरिया, छ.ग. द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (3) अनुसार शासकीय वसूली राशि 5,61,995/- की बराबर—बराबर राशि रूपये 2,80,997/- प्रत्येक से वसूली किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 13/08/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 40 | 12/2018/GS | 04/04/2018 | उच्च शिक्षा विभाग | फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति – श्रीमती मधुलिका लाल, प्राचार्य शासकीय मदनलाल शुक्ल, महाविद्यालय, सीपत, बिलासपुर की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर होने के कारण इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(8) के तहत इनकी सेवाएं समाप्त किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 25/07/2018 | |
| 41 | 85/2018/GS | 04/08/2018 | वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग | श्री अश्वनी कुमार अनंत, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जिला बीजापुर वर्तमान में – गोदाम प्रभारी, छ.ग. स्टेट बैंकरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, लिंगियाडीह गोदाम, बिलासपुर पर लघु शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री अश्वनी कुमार अनंत, जिला आबकारी अधिकारी, बीजापुर द्वारा जिले के प्रभारी होने की हैसियत से मदिरा दुकानों में संग्रहित बीयर की यथासमय, मानिटरिंग नहीं किये जाने के फलस्वरूप बीजापुर जिले की फुटकर विदेशी मदिरा दुकानों में संधारित बीयर की बिक्री नहीं होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 20/08/2018 |
| 42 | 51/2008/GS | 01/08/2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध डॉ. के. एन. मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी, रायगढ़ द्वारा स्वयं की सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती जैसे गोपनीय अभिलेख रखे जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत 10 प्रतिशत पेंशन राशि एक वर्ष के लिये कटौती किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/08/2018 | |
| 43 | 75/2018/GS | 23/07/2018 | जल संसाधन विभाग | अपराध क्रमांक 56 / 2009 में माननीय विशेष न्यायालय (भ्र. नि.अ. 1988) द्वारा दोषसिद्ध अधिकारी श्री एम.एल.सैनी, सहायक अभियंता को सेवा के पदच्युत करने बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एम.एल.सैनी, सहायक अभियंता (तत्कालीन उपअभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, धमतरी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(9) के तहत “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 24/08/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------------|---|---|------------|
| 44 | 97/2018/GS | 04/09/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध— श्री के.के.दुबे, तत्का. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कर्वाई, जिला—कबीरधाम (छ. ग.)। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री के.के.दुबे, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कबीरधाम वर्तमान में कार्यालय मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय सिविल लाईन, रायपुर छ.ग. के द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम— 1966 के नियम—10(5) के तहत प्राप्त वेतनमान के मूल वेतन में 02 प्रक्रम निम्नतर लाये जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 26/09/2018 |
| 45 | 99/2018/GS | 10/09/2018 | स्कूल शिक्षा विभाग | अपराध क्रमांक 45 / 2010 धारा 7, 13(1) डी. 13(2) पी. सी.एकट 1988 विरुद्ध— श्री अनिल कुमार मारकण्डेय, सहायक संचालक, शिक्षा जिला बैमेतरा। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार मारकण्डेय, (मूलपद प्राचार्य) तत्का. सहायक संचालक, शिक्षा जिला बैमेतरा, अतिरिक्त प्रभार विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़, जिला दुर्ग के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(9) के तहत “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 03/10/2018 |
| 46 | 103/2018/GS | 22/09/2018 | खनिज साधन विभाग | एन्टी करप्शन ब्यूरो अपराध क्रमांक 14 / 2017 विरुद्ध श्री ओम प्रकाश खाण्डेकर माईनिंग इस्पेक्टर | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री ओमप्रकाश खाण्डेकर, माईनिंग इस्पेक्टर बिलासपुर द्वारा अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध ^{छ.ग.} सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 10 (नौ) में प्रावधानित सेवा से पदच्युत करने संबंधी लिये गये विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर ^{छ.ग.} आयोग की सहमति दी गई। | 15/10/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|---|--|------------|
| 47 | 125/2018/GS | 29/09/2018 | महिला एवं बाल विकास विभाग | जिला कवर्धा में रेडी टू ईट समिति चयन की प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही करने विषयक— श्री अतुल परिहार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, (प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी)। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि बजट सत्र 27 फरवरी से 30 मार्च 2017 के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 439 एवं ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 475 एवं 497 में महिला रख सहायक समूहों के चयन प्रक्रिया के संबंध में की गई जांच में श्री अतुल परिहार को रेडी टू ईट समिति चयन में लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 10 (चार) के तहत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/10/2018 |
| 48 | 89/2018/GS | 06/08/2018 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री जयभान सिंह राठोर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला—बस्तर। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री जयभान सिंह राठोर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (5) के तहत “एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (3) के तहत “शासन को हुई क्षति राशि रूपये 2,53,400/- वसूल किए जाने ” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 17/10/2018 |
| 49 | 102/2018/GS | 18/09/2018 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री एस. एल.ओगरे, जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद एवं अजीत सिंह जाट, वि.खं. शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री एस.एल.ओगरे, जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद एवं अजीत सिंह जाट, वि.खं. शिक्षा अधिकारी, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम—10(4) के तहत 01—01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/10/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|---|--|------------|
| 50 | 122/2018/GS | 26/09/2018 | जल संसाधन विभाग | श्री पी.के.श्रीवास्तव, सहायक अभियंता (रु0) एवं आनंद कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता (रु0) को सेवा से पदच्युत किये जाने संबंधी लिए गए प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति / असहमति दिये जाने बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री पी.के.श्रीवास्तव, सहायक अभियंता (रु0) एवं श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता (रु0) को भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 16/10/2018 |
| 51 | 88/2018/GS | 06/08/2018 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री जयभान सिंह राठौर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला—कोण्डागांव द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 03 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री जयभान सिंह राठौर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला—कोण्डागांव द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 27/10/2018 |
| 52 | 140/2018/GS | 05/10/2018 | गृह जेल विभाग | विभागीय जांच जे.एल. मेश्राम उप जेल अधीक्षक जेल अधीक्षक जेल अधीक्षक चालू प्रभार जिला जेल राजनांदगांव | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री जे.एल.मेश्राम, उप जेल अधीक्षक जेल अधीक्षक चालू प्रभार जिला जेल राजनांदगांव के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये अनंतिम प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/10/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------------------------|--|--|------------|
| 53 | 154/2018/GS | 14/11/2018 | महिला एवं बाल विकास विभाग | सुश्री किरण श्रीवास्तव परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी नवागढ़ जिला बेमेतरा के विरुद्ध रेडी-टू-ईट संचालनकर्ता समूहों के भुगतान एवं नये अनुबंध हेतु राशि की मांग करने रेडी-टू-ईट वितरण हेतु स्व-सहायता समूह का चयन शासन के निर्देशों के तहत न करने निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करने विभागीय मासिक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति समयावधि में नहीं करने एवं विभागीय प्रशिक्षणों को नियमानुसार संपादित नहीं करने के कारण परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर सहमति दी गई। | 01/12/2018 | |
| 54 | 145/2018/GS | 16/10/2018 | लोक स्वारथ्य यांत्रिकी विभाग | सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाहीं (पी.एस. सुमन) | प्रकरण का परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री पी.एस.सुमन, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जनसूचना अधिकारी, लोक स्वारथ्य यांत्रिकी खण्ड जांजगीर-चांपा जिला जांजगीर-चांपा वर्तमान में कार्यपालन अभियंता खण्ड बलरामपुर जिला बलरामपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदक को विलंब से जानकारी प्रदाय करने के कारण कार्य के प्रति किये गये लापरवाही एवं उदासीनता के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत परिनिंदा की शास्ति से दंडित किये जाने हेतु लिये गये विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 07/12/2018 |
| 55 | 161/2018/GS | 27/11/2018 | सहकारिता विभाग | विभागीय जांच के आधार पर श्री एस.के.एस. सिसोदिया उप पंजीयक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर सहमति बाबत्। | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.के.एस. सिसोदिया उप पंजीयक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित रायपुर के पद पर कार्य करते हुये किये गये वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही तथा प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुये इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 07/12/2018 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---------------------------|--|---|------------|
| 56 | 142/2018/GS | 11/10/2018 | गृह जेल विभाग | श्री एम.एन.प्रधान, सहायक जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर का विभागीय जांच प्रकरण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए भेजने बाबत। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एम.एन. प्रधान, सहायक जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत “01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत किये जाने की शास्ति” अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति” अधिरोपित किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/12/2018 |
| 57 | 143/2018/GS | 11/10/2018 | गृह जेल विभाग | श्री एम.एन.प्रधान, सहायक जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर का विभागीय जांच प्रकरण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए भेजने बाबत। | प्रकरण पर समग्र परीक्षणोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री एम.एन. प्रधान, सहायक जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर द्वारा अपने कार्यों में उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत “01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत किये जाने की शास्ति” अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय नियम 1966 पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/12/2018 |
| 58 | 170/2018/GS | 11/12/2018 | महिला एवं बाल विकास विभाग | एकीकृत बाल विकास परियोजना कोयलीबड़ा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर का विस्तृत अंकेक्षण कराने बाबत। (श्री विजय प्रभात सरल, परियोजना अधिकारी—विभागीय जांच) | प्रकरण पर समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री विजय प्रभात सरल, तत्का. बाल विकास परियोजना अधिकारी कोयलीबड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत उनकी 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 29/12/2018 |
| 59 | 171/2018/GS | 11/12/2018 | महिला एवं बाल विकास विभाग | श्री बी. आर. मण्डावी तत्का. बाल विकास परियोजना अधिकारी पाटन जिला दुर्ग द्वारा परियोजना पाटन में अपने कार्य के प्रति किये गये लापरवाही एवं उदासीनता के फलस्वरूप प्रमाणित आरोप के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | | 29/12/2018 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------------------------------|---|--|------------|
| 60 | 126/2018/GS | 01/10/2018 | जल संसाधन विभाग | राजिम पाण्डुका उप संभाग की 57.00 करोड़ रुपये की लागत से किया गया लाईनिंग कार्य में हेराफेरी के जांच बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी सर्वश्री डी.के. भगोरिया, प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने कार्यों में की गई लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिंदा” की शास्ति एवं जी.पी.सुमन, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं डी.के.जोशी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने कार्यों में की गई लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत दो—दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 27/12/2018 |
| 61 | 174/2018/GS | 20/12/2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | श्री अशोक कुमार पाण्डेय, विधि अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विरुद्ध शिकायत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री अशोक कुमार पाण्डेय, विधि अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के प्रति अशोभनीय टिप्पणियाँ किया जाना पाया गया, जो लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अध्याय—5 की धारा 13(3)(प) के अंतर्गत कार्यवाही करने की अनुशासा को दृष्टिगत रखते हुये, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 04/01/2019 |
| 62 | 163/2018/GS | 29/11/2018 | जल संसाधन विभाग | शहीद वीर नारायण सिंह बांध (कोडार) के डेम सेपटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच संबंधी प्रकरण में अपचारी अभियंताओं के विरुद्ध लिए गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति / अभिमत प्राप्त करने बाबत। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री दिनेश कुमार भगोरिया, तत्का. कार्यपालन अभियंता तथा श्री ए.के.खेर, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही तथा वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत “एक—एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं श्री पी.के. आनंद, कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/01/2019 |

| | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------|---|------------|
| 63 | 173/2018/GS | 14/12/2018 | जल संसाधन विभाग | माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. 1551 / 2005 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 के परिपालन में :- I. श्री डी.पी.पाण्डेय, तत्का. कार्यपालन अभियंता के निलंबन अवधि दिनांक 24.04.1982 से 24.07.1982 (निलंबन आदेश प्रतिसंहृत होने के कारण बहाल), पुनः दिनांक 02.02.1983 से 01.12.1989 (सेवावृद्धि / बहाली तिथि), को मूलभूत नियम-54(क) निहित प्रावधानांतर्गत नियमितीकरण करने एवं पदच्युति दिनांक 30.06.1990 को सेवा में पुनर्स्थापित कर, दिनांक 30.11.1990 को सेवानिवृत्त करने एवं II. श्री जी.पी.कठेरिया, तत्का. सहायक यंत्री (सहायक अभियंता), कोडार परियोजना उपसंभाग, महासमुंद के निलंबन अवधि दिनांक 24.04.1982 से 24.07.1982 (निलंबन आदेश प्रतिसंहृत होने के कारण बहाल), पुनः निलंबन दिनांक 02.02.1983 से पदच्युति दिनांक 30.06.1990 की अवधि को छ.ग. मूलभूत नियम-54 (क) निहित प्रावधानांतर्गत नियमितीकरण करने, पदच्युति दिनांक 30.06.1990 को सेवा में पुनर्स्थापित कर, उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31.01.1995 को सेवानिवृत्त किये जाने, हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/01/2019 |
| 64 | 179/2018/GS | 24/12/2018 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत – श्री शांतिलाल मिर्च, तत्कालीन वि.खं. शिक्षा अधिकारी गुण्डरदेही, वर्तमान प्राचार्य शास.उ.मा.विद्यालय अचौद जिला बालोद द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/01/2019 |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------------|---|---|------------|
| 65 | 188/2018/GS | 05/01/2019 | वन विभाग | श्री डॉ.के. सिंह, सेवानिवृत्त स.व.सं. तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी जांजगीर— चांपा वनमंडल के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच (आरोप पत्र दिनांक 14.06.2005, विभागीय जांच आदेश दिनांक 11.02.2010) | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया श्री डॉ. के. सिंह, तत्कालीन उप वनमंडलाधिकारी जांजगीर—चांपा वनमंडल द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में निहित प्रावधान अंतर्गत दण्ड स्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के समतुल्य लघु शास्ति रूपये 31200/- को श्री डॉ. के. सिंह सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक से रूपये 1760/- की 18 किश्तों में पेंशन से वसूल किये जाने के प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/01/2019 |
| 66 | 182/2018/GS | 31/12/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना महासमुंद में किये गये घोर प्रष्टाचार की जांच हेतु। (कार्यवाही विरुद्ध— श्री आर.बी. सोनी, सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बलौदाबाजार एवं श्रीमती सोनल वैद्य, लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई महासमुंद।) | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री आर.बी.सोनी, तत्कालीन सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई महासमुंद वर्तमान में छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बलौदाबाजार एवं श्रीमती सोनल वैद्य, लेखाधिकारी, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई महासमुंद द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01—01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/01/2019 |
| 67 | 186/2018/GS | 05/01/2019 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत् – श्री कृपाराम कोर्टम, प्राचार्य, शासकीय उ. मा.वि. ठेकवाडीह विकासखंड गुरुर जिला –बालोद। | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री कृपाराम कोर्टम, प्राचार्य, शासकीय उ.मा. विद्यालय ठेकवाडीह, विकासखंड, गुरुर जिला बालोद द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/01/2019 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------|--|--|------------|
| 68 | 187/2018/GS | 05/01/2019 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत – श्री डी.एल.जायसवाल, तत्कालीन वि.खं. शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ एवं वर्तमान प्राचार्य शास.उ.मा.वि. कोसीर वि.खं. सारंगढ़ जिला रायगढ़। | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री डी.एल.जायसवाल, तत्कालीन वि.खं. शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ वर्तमान प्राचार्य शास. उ.मा.वि. कोसीर वि.खं. सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत “आगामी 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 21/01/2019 |
| 69 | 176/2018/GS | 21/12/2018 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के निरीक्षण में असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त सड़कों पर कार्यवाही बाबत। | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री के.एस.भण्डारी, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, रायगढ़ एवं श्री एस.एन. देवांगन, सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, रायगढ़ द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 30/01/2019 |
| 70 | 189/2018/GS | 14/01/2019 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत- श्री महात्मा राम उइके, प्राचार्य, शासकीय उ.मा.विद्यालय, मंगचुवा, विकासखंड डौंडीलोहारा जिला बालोद द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 25/01/2019 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--|--|---|------------|
| 71 | 191/2018/GS | 23/01/2019 | गृह (जेल) विभाग | निलंबन निरस्त करने बाबत— श्री एस.के. मिश्रा, वरिष्ठ कल्याण एवं परीक्षणोपरांत अधिकारी (प्रभारी जेल अधीक्षक)। | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस.के.मिश्रा, वरिष्ठ परीक्षणोपरांत कल्याण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति धोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 07/02/2019 |
| 72 | 196/2018/GS | 14/02/2019 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत जिला सरगुजा में सामग्री खरीदी में अनियमितता बाबत। (श्री एफ. एका, प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंबिकापुर) (जांच प्रकरण 69 / 2011) | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री एफ. एका, प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंबिकापुर कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत जिला सरगुजा में सामग्री खरीदी में क्रय समिति के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने में उदासीनता बरतने के कारण उनकी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 02/03/2019 |
| 73 | 178/2018/GS | 14/02/2019 | स्कूल शिक्षा विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत— श्री एच.के.गंगबोईर, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला एवं श्री मंगतराम कुंजाम, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला एवं श्री मंगतराम कुंजाम, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला। | प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री एच.के.गंगबोईर, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(5) के तहत 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने तथा वित्तीय हानि की कुल राशि 2,46,997/- रूपये की 50 प्रतिशत राशि उनके वेतन से वसूल किये जाने एवं श्री एम.आर.कुजाम, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला (दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत्त) के द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध पेंशन नियम 1976 के नियम-9 के अंतर्गत उनकी 10 प्रतिशत राशि 01 वर्ष के लिए रोके जाने के साथ ही वित्तीय हानि की कुल राशि रूपये 2,46,997/- की 50 प्रतिशत राशि उनके उपादान से वसूल किए जाने के संबंध में लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 05/03/2019 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------|---|--|------------|
| 74 | 193/2018/GS | 22/02/2019 | मछलीपालन विभाग | विभागीय जांच विरुद्ध श्री ए. के. सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण दुर्ग। | उक्त प्रकरण का समग्र परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री ए.के. सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण दुर्ग में पदस्थी अवधि के दौरान शासकीय कार्य में किये गये वित्तीय अनियमिताओं हेतु प्रमाणित आरोपों के फलस्वरूप इनके विरुद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति से दंडित करने हेतु लिये गये विभागीय प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 12/03/2019 |
| 75 | 195/2018/GS | 15/02/2019 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री संतोष नाग, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा जिला – दंतेवाड़ा वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक एक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ.ग. द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने तथा शासनादेश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री संतोष नाग, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा जिला – दंतेवाड़ा वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक एक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ.ग. द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने तथा शासनादेश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 15/03/2019 |
| 76 | 199/2018/GS | 18/02/2019 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | अपराध क्रमांक 17 / 2011 धारा 13 (1) ई-13(2) पीरी एक्ट 1988 विरुद्ध श्री राधेश्याम मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कर्वाचौर। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय तिया गया कि अपचारी अधिकारी श्री राधेश्याम मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (निलंबित) जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कर्वाचौर वर्तमान में विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) में प्रावधानित सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 13/03/2019 |
| 77 | 200/2018/GS | 23/02/2019 | गृह जेल विभाग | श्री एस. आर. ठाकुर, उप जेल अधीक्षक जिला जेल धमतरी का विभागीय जांच प्रकरण छ.ग. लोक सेवा आयोग से परामर्श बाबत्। | प्रकरण पर समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री एस. आर. ठाकुर, उप जेल अधीक्षक जिला जेल धमतरी तत्कालीन सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल कबीरधाम द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (5) के तहत 03 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवनत किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 20/03/2019 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------|--|--|------------|
| 78 | 201/2018/GS | 25/02/2019 | वाणिज्यिक कर विभाग | श्री आर . एन. साय, संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक बिलासपुर संभाग-1 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत्। | प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया श्री आर. एन. साय, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर संभाग-1 को बिलासपुर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय हेतु निजी भवन किराये पर लिये जाने के लिये निविदा में सामान्य तथा तकनीकी शर्तें आदि निर्धारित नहीं किये जाने, शासकीय क्रय में पारदर्शिता का उल्लंघन किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी गई। | 23/03/2019 |
|----|-------------|------------|--------------------|--|--|------------|

परिशेष - आठ

मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग (आयोजनेतर)
वित्तीय वर्ष 2018-19 माह 01.04.2018 से 31.03.2019 तक व्यय एवं समर्पण

आयोजना/आयोजनेतर/दत्तमत/भारित

(राशि रूपयों में)

| बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण | वर्ष 2018-19 के लिये बजट | | | | | वर्ष के दोगन अन्य मद से प्राप्त पुनर्वि ज्ञान (+) | कुल योग (8)-(9) | वर्ष 2018-19 के दोगन कुल व्यय (10)-(11) | बचत राशि | समर्पण हेतु राशि | समर्पण के कारण एवं अनुक्रितियाँ | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|-------------|---|--------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|------|------|------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| #01-वेतन भत्ते, आदि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 001 वेतन | 7,20,00,000 | - | - | - | 7,20,00,000 | - | 7,20,00,000 | - | 7,20,00,000 | 4,48,74,067 | 2,71,25,933 | 2,71,25,933 | | | |
| 003 मंहगाई भत्ता | 72,00,000 | - | - | - | 72,00,000 | - | 72,00,000 | - | 72,00,000 | 63,89,108 | 8,10,892 | 8,10,892 | | | |
| 014 अन्य भत्ते | 1,00,00,000 | - | - | - | 1,00,00,000 | - | 1,00,00,000 | - | 1,00,00,000 | 41,99,770 | 58,00,230 | 58,00,230 | | | |
| 015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूति | 8,00,000 | - | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | 2,17,072 | 5,82,928 | 5,82,928 | | | | |
| 020 त्वाहार अधिम | 6,00,000 | - | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | 2,56,000 | 3,44,000 | 3,44,000 | | | | |
| 024 विकित्सा अधिम | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | | | | |
| योग उद्देश्य शीर्ष #01 | 9,00,00,000 | - | - | 9,00,00,000 | 0 | 9,00,00,000 | 0 | 9,00,00,000 | 5,56,80,017 | 3,43,19,983 | 3,43,19,983 | | | | |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------|
| #02— मजदूरी | | | | | | | | - |
| 005—दैनिक तेतनभोगी | 15,00,000 | | 15,00,000 | - | 15,00,000 | - | 14,97,881 | 2,119 |
| योग उद्देश्य शीर्ष #02 | 15,00,000 | - | 15,00,000 | - | 15,00,000 | - | 14,97,881 | 2,119 |
| #03— यात्रा भत्ता | | | | | | | | - |
| 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 2,89,055 | 3,10,945 |
| 002 यात्रा भत्ता स्थानान्तर | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - | 6,000 | 94,000 |
| 006 अवकाश यात्रा सुधिता | 4,00,000 | - | 4,00,000 | - | 4,00,000 | - | 4,00,000 | 4,00,000 |
| योग उद्देश्य शीर्ष #03 | 11,00,000 | - | 11,00,000 | - | 11,00,000 | - | 2,95,055 | 8,04,945 |
| #04— कार्यालय व्यय | | | | | | | | - |
| 001 डाकतार व्यय | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 10,000 | 40,000 |
| 002 दूरभाष व्यय | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 2,55,634 | 3,44,366 |
| 003 फन्फुचर एवं कार्या उप. | 10,00,000 | - | 10,00,000 | - | 10,00,000 | - | 10,00,000 | 9,99,693 |
| 004 पुस्तके एवं नि पत्रिकाएं | 3,00,000 | - | 3,00,000 | - | 3,00,000 | - | 1,01,701 | 1,98,299 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 005 विजली एवं जल प्रभार | 14,00,000 | - | - | 14,00,000 | - | 14,00,000 | - | 7,53,640 | 6,46,360 | 6,46,360 | आवश्यकतानु सार खर्च किया गया |
| 006 वर्दिया | 1,50,000 | - | - | 1,50,000 | - | 1,50,000 | - | 1,50,000 | 46,305 | 1,03,695 | आवश्यकतानु सार खर्च किया गया |
| 007 लेखन सामग्री एवं फर्म की छपाई | 8,00,000 | - | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | 5,97,278 | 2,02,722 | आवश्यकतानु सार खर्च किया गया |
| 008 अन्य आकस्मिक द्वय | 21,00,000 | - | - | 21,00,000 | - | 21,00,000 | - | 21,00,000 | 11,87,370 | 9,12,630 | 9,12,630 अनुसार अतिरिक्त यांचे समर्पित की जा रहा है। तथा शेष राशि को आवश्यकतानु सार खर्च किया गया। |
| 009 सूचना प्रौद्योगिकी | 2,00,000 | - | - | 2,00,000 | - | 2,00,000 | - | 2,00,000 | 1,63,780 | 36,220 | 36,220 आवश्यकतानु सार खर्च किया गया |
| 011 पेट्रोल तेल आदि | 12,00,000 | - | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | 9,60,405 | 2,39,595 | 2,39,595 आवश्यकतानु सार खर्च किया गया |

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 012 आठिथ्य पर व्यय | 1,00,000 | | 1,00,000 | | 1,00,000 | | 84,524 | 15,476 | 15,476 | आवश्यकतान् सार खर्च किया गया |
| योग उद्देश्य #04 | 79,00,000 | - | - | 79,00,000 | - | 79,00,000 | - | 51,60,330 | 27,39,670 | |
| #05- प्रशिक्षण | | | | | | | | | | |
| 001 अधिकारी/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण | 3,00,000 | | 3,00,000 | | 3,00,000 | | 3,00,000 | 23,000 | 2,77,000 | आवश्यकतान् सार खर्च किया गया |
| योग उद्देश्य #05 | 3,00,000 | - | - | 3,00,000 | - | 3,00,000 | - | 3,00,000 | 23,000 | |
| #10- ज्ञानसाधिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ | | | | | | | | | | |
| 001 परीक्षक मानदेश | 1,50,00,000 | - | - | 1,50,00,000 | - | 1,50,00,000 | - | 1,50,00,000 | 1,30,00,000 | 20,00,000 |
| 002 परीक्षा व्यय | 9,00,00,000 | - | - | 9,00,00,000 | - | 9,00,00,000 | - | 9,00,00,000 | 6,50,00,000 | 2,50,00,000 |
| 005 प्राइवेट अभिभाषकों को फीस | 25,00,000 | - | - | 25,00,000 | - | 25,00,000 | - | 25,00,000 | 15,00,000 | 10,00,000 |
| 010 सुरक्षा व्यय | 8,00,000 | - | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | - | 8,00,000 | 5,25,164 | 2,74,836 |
| योग उद्देश्य #10 | 10,83,00,000 | - | - | 10,83,00,000 | - | 10,83,00,000 | - | 10,83,00,000 | 8,0,25,164 | 2,82,74,836 |
| #24- अनुस्थिति कार्य | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 001 मोटर गाड़ी | 6,00,000 | - | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | 2,39,661 | 3,60,339 | 3,60,339 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| योग उद्देश्य #24 | 6,00,000 | - | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | - | 6,00,000 | 2,39,661 | 3,60,339 | 3,60,339 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| #34- वाहनों का क्रप | | | | | | | | | | | | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| 001 प्रतिस्थापन | 12,00,000 | - | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | 11,65,145 | 34,855 | 34,855 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| योग उद्देश्य #34 | 12,00,000 | - | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | - | 12,00,000 | 11,65,145 | 34,855 | 34,855 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| #89- परिवहन व्यय | | | | | | | | | | | | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| परिवहन व्यय | 1,00,000 | - | - | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - | 1,00,000 | 89,656 | 10,344 | 10,344 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| योग उद्देश्य #34 | 1,00,000 | - | - | 1,00,000 | - | 1,00,000 | - | 1,00,000 | 89,656 | 10,344 | 10,344 | आवश्यकतातुं सार खर्च किया गया |
| महायोग | 21,10,00,000 | 0 | 0 | 21,10,00,000 | 0 | 21,10,00,000 | 0 | 21,10,00,000 | 14,41,75,909 | 6,68,24,091 | 6,68,24,091 | |





छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

Website : www.psc.cg.gov.in